महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां 2009-2010

1. सामान्य

संलग्न वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 के साविधिक प्रावधानों तथा भारतीय सनदी लेखाकारों के संस्थान द्वारा जारी किए गये विवरणों, मानकों तथा मार्गदर्शी टिप्पणियों के अनुरूप पारंपरिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं।

2. अनुमानों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अनुमानों और उन पूर्वानुमानों की जरूरत पड़ती है जो रिपोर्ट की अवधि के दौरान परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और खर्चों को प्रभावित करते हैं। यद्यपि इस तरह के अनुमान और पूर्वानुमान युक्तिसंगत और व्यावहारिक आधार पर तैयार किए जाते हैं और ऐसा करते हुए सभी उपलब्ध सूचनाओं, वास्तविक परिणामों को ध्यान में रखा जाता है लेकिन फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं और इस अंतर को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें परिणाम मूर्त रूप होकर दिखाई देते हैं।

3. सहायता अनुदान

पूंजीगत व्यय के लिए केन्द्र/राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारियों से प्राप्त सहायता अनुदान के साथ-साथ उपभोक्ता अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार से टिहरी एचईपी चरण-I के लिए परियोजना लागत के सिंचाई घटक के लिए प्राप्त अंशदान को शुरू में आरक्षित पूंजी के रूप में माना गया तथा बाद में उसी अनुपात में आय के रूप में समायोजित किया गया, जितना कि इस अंशदान/ सहायता अनुदान में अधिग्रहीत परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास को बट्टे खाते में डाला गया है।

4. अचल परिसंपत्तियां

i. अमूर्त परिसंपत्तियों सहित अचल परिसंपत्तियां उनके अधिग्रहण/निर्माण लागत पर बताई गयी हैं। एक से अधिक उत्पादन इकाइयों की साझा परिसंपत्तियां और प्रणालियां अभियांत्रिकी प्राक्कलनों/मूल्यांकनों के आधार पर पूंजीकृत की जाती हैं। लेकिन खासतौर से निर्माण के लिए अधिग्रहीत / निर्मित अचल परिसंपत्तियों को जिन्हें मुख्य अचल परिसंपत्ति के साथ विलय कर दिया जाएगा अथवा जो निर्माण अवधि के बाद उपयोगी नहीं रहेंगी, उनके साथ पूंजीकृत किए जाने के लिए अचल परिसंपत्तियों की मुख्य मद के चालू पूंजीगत कार्य के भाग के रूप में ली जाती है।

ii. भूमि पर सृजित अचल परिसंपत्तियां, जो कंपनी की नहीं है, अचल परिसंपत्तियों में शामिल की जाती हैं।

iii. विशेष भू-अर्जन अधिकारी (एसएलएओ)/ पट्टे के माध्यम से अधिग्रहीत भूमि के संबंध में वे भू-भाग पूंजीकृत किए जाते हैं, जो कंपनी के भवन निर्माण तथा बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं/प्रयोग किए जाने के लिए आशयित हैं। ऐसी भूमि की लागत, जिसे एसएलएओ के माध्यम से अधिग्रहीत किया गया हो, को एसएलएओ द्वारा या सीधे कंपनी द्वारा प्रदान की गई क्षतिपूर्ति के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है। ऐसी भूमि से बेदखल किए गये व्यक्तियों के पुनर्वास संबंधी व्यय को लागत में शामिल नहीं किया जाता। पट्टे पर मिली जमीन को भुगतान की गयी पट्टे की राशि के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

iv. उस मामले में, जहां ठेकेदारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान करना बाकी है, लेकिन परिसंपत्तियां पूर्ण हैं और उपयोग के लिए तैयार हैं, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अध्यधीन अनंतिम आधार पर किया जाता है।

v. कंपनी द्वारा स्वामित्व में न ली गयी परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय को पूरा होने की अवधि तक चालू पूंजीगत कार्यों में विशिष्ट मद के तौर पर दर्शाया जाता है और बाद में उसे अचल संपत्तियों में शामिल कर लिया जाता है।

5. चल रहा पूंजीगत कार्य

i. पट्टा राशि एवं पट्टायुक्त भूमि पर किराया तथा डूब एवं अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्तियों हेतु क्षतिपूर्ति (जैसे विस्थापित हुए व्यक्तियों के पुनर्वास, नई टाउनशिप के निर्माण, वनीकरण पर लगाई गई राशि तथा पुनर्वास कालोनियों के स्थानीय प्राधिकरणों आदि द्वारा अधिग्रहण किए जाने तक उनके रखरखाव और अन्य सुविधाओं पर हुए खर्च) तथा जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना में इस्तेमाल के लिए भू-अधिग्रहण हेतु विशिष्ट पूर्व शर्त हो, पर लगी लागत को पुनर्वास के चालू पूंजीगत कार्य में अग्रेनीत किया जाता है। परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन के शुरू हो जाने पर से भू-अवर्गीकृत में पूंजीकृत किया जाएगा।

ii. संबंधित अभिकरणों से प्राप्त विवरणों के आधार पर जमा निर्माण कार्यों को हिसाब में लिया जाता है।

iii. आपूर्ति और उत्थापन के ठेकों के संबंध में कार्यस्थल पर मिली सप्लाई के मूल्य को चालू पूंजीगत कार्य माना जाता है।

iv. ठेकों के मामले में मूल्य परिवर्तन के लिए दावों को स्वीकार कर लिए जाने पर हिसाब में शामिल किया जाता है।

v. कॉरपोरेट ऑफिस के प्रशासन एवं सामान्य शिरोपरि खर्चों/सेवा केन्द्रों के व्यय को अचल संपत्ति के निर्माण में डाल दिया जाता है और नियमबद्ध आधार पर इन्हें निर्माण परियोजनाओं को आबंटित कर दिया जाता है।

कॉरपोरेट ऑफिस/सेवा केन्द्रों के प्रशासन और सामान्य शिरोपरि खर्चों सहित वर्ष के दौरान निर्माण व्यय (निवल) को चल रहे पूंजी कार्य में जोड़ लिया जाता है और जब तक वे

इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं हो जाते तब उन्हें परिसंपत्तियों की लागत में शामिल कर लिया जाता है।

vi. परियोजना के पुनर्वास कार्यों के संबंध में निर्माण कार्य के दौरान प्रासंगिक व्यय को अग्रेनीत कर नीति संख्या–5 (i) के अनुसार आबंटित किया जाता है।

6. ऋण लागत

i. विशिष्ट अर्ह परिसंपत्तियों के अधिग्रहण तथा निर्माण से सीधी जुड़ी ऋण लागत को उस तिथि तक, जब ऐसी परिसंपत्तियां इसके आशयित उपयोग के लिए तैयार हों, इन परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

ii. सामान्यतः उधार ली गयी निधियों एवं जिन्हें अर्हता प्राप्त परिसंपत्ति लेने के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है, की ऋण लागत जो विशिष्ट अचल परिसंपत्तियों से सीधे जुड़ी न हो, को उनके निर्माण के दौरान पूंजीकृत किया जाता है। ऐसी ऋण लागतों को वर्ष के लिए चालू पूंजीकृत कार्य के औसत शेष के अनुसार विभाजित किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उनके व्यय होने की अवधि में खर्चों के रूप में माना जाता है।

7. विदेशी मुद्रा लेन–देन

i. विदेशी मुद्रा में किए गए सौदों का हिसाब–किताब उस दिन की दरों पर किया जाता है, जिस दिन सौदा किया गया हो।

ii. तुलन–पत्र की तारीख पर विदेशी मुद्रा की मौद्रिक मदें उस तारीख को बंद दर पर प्रयोग की जाती हैं। गैर मुद्रा मदों का हिसाब–किताब उस विदेशी मुद्रा दर पर किया जाता है जो सौदे की तारीख पर थी।

iii. 01.04.2004 से पहले किए गये लेन–देन से उत्पन्न ऋणों/जमा राशियों/अचल परिसंपत्तियों/प्रगति पर पूंजीगत कार्यों से संबंधित विनिमय अंतरों को संबंधित अचल परिसंपत्ति/प्रगति पर पूंजीगत कार्यों की वहन लागत में समायोजित किया जाता है। तथापि 01.04.2004 को या बाद में किए गए लेन–देन से उत्पन्न विनिमय दरों को एएस–11 (संशोधित 2003) विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव के अनुसार लेखाबद्ध किया जाएगा।

iv. अन्य विनिमय अंतर दरों को उस अवधि के दौरान, जिनमें यह उत्पन्न होते हैं, आय एवं व्यय के तौर पर मान्यता दी जाती है।

8. मूल्यह्रास

i. मूल्यह्रास को टैरिफ निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार सीधी रेखा विधि पर प्रभारित किया जाता है। जिन परिसंपत्तियों के बारे में सीईआरसी ने अधिसूचित नहीं किया है, उनमें मूल्यह्रास का कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित दरों के अंतर्गत सीधी रेखा विधि से प्रावधान किया जाता है।

विनिमय दरों में घट–बढ़, न्यायालयों के फैसलों इत्यादि के कारण बढ़ी देनदारी के लिए परिसंपत्ति की लागत में बढ़ोत्तरी के मामले में, परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल के लिए अग्रदर्शी रूप में संशोधित परिशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि का प्रावधान किया जाता है।

ii. ₹ 1500/– तक की कम लागत वाली सामग्रियां जो परिसंपत्ति के रूप में होती हैं, को पूंजीकृत नहीं किया जाता है और उन पर राजस्व वसूला जाता है।

iii. ₹ 1500/– से अधिक पर ₹ 5000/– तक की लागत वाली (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) परिसंपत्तियों के संबंध में क्रय वर्ष में 100% मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है।

iv. मूल्यह्रास परिसंपत्तियों के उपयोग के लिए तैयार होने की तिथि से प्रभारित किया जाता है।

v. लीज होल्ड जमीन की लागत लीज अवधि के दौरान परिशोधित की जाती है।

vi. कंपनी द्वारा स्वामित्व में न ली गयी परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय को परियोजना की पहली यूनिट के वाणिज्यिक संचालन शुरू होने के पांच वर्षों की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है तथा इसके बाद उस वर्ष से, जिसमें संबंधित परिसंपत्ति पूरी हो गई हो तथा प्रयोग के लिए उपलब्ध हो गयी हो, परिशोधित की जाती है।

vii. कोटेश्वर हाइड्रो–इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट की डाइवर्जन सुरंग के मामले में मूल्यह्रास सुरंग की अनुमानित उपयोगिता जीवन पर सीधी रेखा विधि से प्रभारित किया जाता है।

viii. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति माना गया है तथा प्रयोग की विधिक अधिकार की अवधि या पांच वर्षों, जो भी पहले हो, में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है।

मशीनों के कल–पुर्जों, जिनका प्रयोग अचल परिसंपत्ति के मामले में अनियमित रूप से किया जाना अपेक्षित हो, को पूंजीकृत किया गया है तथा संबंधित संयंत्र और मशीनरी की बाकी उपयोगिता अवधि के दौरान मूल्यह्रासित किया गया है।

9. भंडार तथा अतिरिक्त कल–पुर्जे

i. भंडारों तथा अतिरिक्त पुर्जों को भारित औसत आधार पर निर्धारित लागत पर लिया जाता है।

ii. अप्रचलित तथा अप्रयोज्य सामग्री तथा कल–पुर्जों के मूल्य में गिरावट समीक्षा के बाद निर्धारित की जाती है और उनके लिए मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है।

10. आय तथा व्यय

आय को मान्यता

i. ऊर्जा बिक्री का हिसाब केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित अंतिम प्रशुल्क के अनुसार रखा जाता है। उस पावर स्टेशन के मामले में, जहां अंतिम टैरिफ अधिसूचित नहीं की गयी है, राजस्व की मान्यता समुचित प्राधिकरण अर्थात सीईआरसी द्वारा बनाए गये लागू विनियमों में दी गयी विधि और मापदंडों के आधार पर की जाती है। राजस्व की स्वीकृति सीईआरसी से 'वार्षिक नियत प्रभारों' की अधिसूचना लंबित होने तक वसूली के लिए अपनायी गयी अनंतिम दर पर निर्भर नहीं होगी। विदेशी मुद्रा वाले ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा विभिन्न के प्रति वसूली/वापसी तथा आयकर के प्रति वसूली का हिसाब वर्ष–दर–वर्ष आधार पर रखा जाता है।

ii. प्रोत्साहन/गैर प्रोत्साहन राशि का हिसाब केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित लागू मानदंडों या लाभार्थियों के साथ हुए करारों के आधार पर रखा जाता है। जिन विद्युत स्टेशनों के मामले में इसे अधिसूचित/अनुमोदित नहीं किया गया है/लाभार्थियों के साथ करार नहीं किया गया है, उनके लिए प्रोत्साहन/गैर प्रोत्साहन राशियों का हिसाब अनंतिम आधार पर रखा जाता है।

iii. ऊर्जा बिक्री के लिए विविध लेनदारों से वसूल किए जाने वाले अधिभार को वसूली किए जाने की अनिश्चितता के कारण प्रोद्भूत नहीं माना जाता तथा इसकी पावती/पावती आधार के सुनिश्चित होने पर हिसाब में शामिल किया जाता है।

iv. ठेके की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को दिए गये अग्रिमों पर मिले ब्याज को संबंधित चालू पूंजीगत कार्य के खाते में क्रेडिट कर संबंधित परिसंपत्ति के निर्माण पर लगी लागत में से घटा दिया जाता है।

v. कबाड़ के मूल्य का हिसाब उसकी बिक्री के समय रखा जाता है।

vi. बीमाकर्ता द्वारा सुनिश्चित वसूली के लिए बीमा दावों की प्राप्ति/स्वीकृति का हिसाब वर्ष में रखा जाता है।

व्यय

vii. मरम्मत और अनुरक्षण के काम में इस्तेमाल की गयी सामग्री और कल–पुर्जों की लागत मरम्मत एवं अनुरक्षण खाते में डाली जाती है।

viii. प्रत्येक मामले में ₹ 10000/– या उससे कम की मदों के पहले दिए गये खर्च या पूर्वावधि खर्च/आय को स्वाभाविक लेखा शीर्षों में प्रभारित किया जाता है।

ix. वाणिज्यिक प्रचालन के शुरू होने से पहले हुई शुद्ध आय/व्यय को संबंधित परिसंपत्तियों एवं प्रणालियों की लागत में सीधे समायोजित किया जाता है।

x. संभाव्यता रिपोर्ट अनुमोदित होने से पहले नई परियोजनाओं पर किए गए उद्ग्रहित प्रारंभिक खर्चे राजस्व से प्रभारित किए जाते हैं।

xi. पूर्ववर्ती वर्ष के कर से पूर्व निवल लाभ का विनिर्दिष्ट प्रतिशत अलग रख दिया जाता है ताकि निगम की सामाजिक जिम्मेदारियों के व्यय के लिए ऐसी निधि सृजित की जा सके जो व्यपगत न की जा सके। खर्च न की गई राशि आगे बढ़ा दी जाती है।

11. कर्मचारियों के लाभ

i. कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों एवं अवकाश नगदीकरण तथा सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ, छुट्टी यात्रा रियायत, बैगेज भत्ता, रिटायर कर्मचारियों को मोमेन्टो, मृत कर्मचारियों के आश्रितों को वित्तीय सहायता और अंतिम संस्कार खर्च के लिए देनदारी का हिसाब प्रोद्भवन आधार पर वर्ष के अंत में निर्धारित वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

ii. कंपनी ने भविष्य निधि के प्रशासन के लिए अलग से एक ट्रस्ट स्थापित किया है और इस फण्ड में कंपनी के अंशदान को हर साल व्यय से प्रभारित किया जाता है। निवेशों में ब्याज की कमी (यदि कोई हो) के बारे में कंपनी की देनदारी निर्धारित की जाती है और वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक रूप से प्रावधान किया जाता है।

12. विविध व्यय

31.03.2004 तक आस्थगित राजस्व व्यय को व्यय किए गए वर्ष से 10 वर्षों की अवधि के दौरान बट्टे खाते में डाल दिया गया है। हालांकि बाद में उसे व्यय वाले वर्ष में पूरी तरह प्रभारित किया जा रहा है।

13. आय पर कर

चालू अवधि के लिए आय पर लगने वाले कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आधार पर किया जाता है।

आस्थगित कर को आय का हिसाब लगाने और वर्ष की कर योग्य आय जोड़ने के बीच समय में अंतर से मान्यता दी जाती है और कर की दरों और तुलन–पत्र की तारीख तक पारित किये गये कानूनों के आधार पर होता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस युक्तिसंगत निश्चितता के साथ मान्यता दी जाती है और अग्रेनीत किया जाता है कि भविष्य में ऐसी कर योग्य आय उपलब्ध हो जाएगी जिससे से इन आस्थगित कर संपत्तियों की वसूली संभव हो सकेगी। आस्थगित कर वसूली समायोजन खाते उस हद तक करों के रूप में होने वाले खर्चों में जोड़े/घटाए जाते हैं जिस हद तक उन्हें भविष्य में लाभार्थियों से वास्तविक अदायगी आधार पर प्रभारित किया जा सकता है।

14. नगदी प्रवाह विवरण

नगद प्रवाह विवरण लेखाकरण मानक (एएस)–3 के नगदी प्रवाह विवरण से संबंधित निर्धारित परोक्ष तरीके से तैयार किया जाता है।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

लेखा विवरण 2009-2010

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
(पूर्व में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड)
तुलन-पत्र 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार

राशि ₹ हजार में

विवरण	अनुसूची संख्या	31/03/2010 की स्थिति		31/03/2009 की स्थिति	
		₹	₹	₹	₹
निधियों के स्रोत					
शेयर धारक निधियां	1				
क) शेयर पूंजी		3,29,75,817		3,29,75,817	
ख) आबटन के लिए लंबित शेयर पूंजी अंशदान		0	3,29,75,817	0	3,29,75,817
आरक्षित एवं अधिशेष	2		2,15,29,823		1,86,80,982
आस्थगित राजस्व–मूल्यह्रास के विरूद्ध अग्रिम के कारण	3		28,33,089		24,41,592
ऋण निधियां	4				
प्रतिभूति ऋण		4,52,60,173		4,23,00,072	
अप्रतिभूति ऋण		8,17,326	4,60,77,499	11,42,298	4,34,42,370
योग			**10,34,16,228**		**9,75,40,761**
निधियों का प्रयोग					
अचल पूंजी व्यय					
अचल परिसंपत्तियां	5				
सकल ब्लॉक		8,52,27,799		8,44,58,659	
घटाए : मूल्यह्रास		97,70,864		54,97,339	
निवल ब्लॉक			7,54,56,935		7,89,61,320
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	6		2,05,33,633		1,47,00,960
निर्माण भण्डार तथा पूंजीगत अग्रिम	7		25,38,094		22,08,537
निवेश			0		0
आस्थगित कर परिसंपत्ति (शुद्ध)		13,81,536		6,31,296	
घटाएं :– वापसी योग्य		6,31,296	7,50,267	6,31,296	0
चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम					
वस्तु सूचियां	8	1,70,206		1,51,765	
फुटकर लेनदार	9	75,76681		37,44,181	
नगद एवं बैंक अधिशेष	10	2,30,870		5,88,117	
अन्य चालू परिसंपत्तियां	11	16,188		19,178	
ऋण तथा अग्रिम	12	12,99,989		12,54,304	
(क)		**92,93,934**		**57,57,545**	

राशि ₹ हजार में

विवरण	अनुसूची संख्या	31/03/2010 की स्थिति		31/03/2009 की स्थिति	
		₹	₹	₹	₹
घटाएं : चालू देनदारियां तथा प्रावधान					
चालू देनदारियां	13	14,80,365		16,55,689	
प्रावधान	14	36,79,870		24,36,738	
(ख)		**51,60,235**		**40,92,427**	
निवल चालू परिसंपत्तियां (क)–(ख)			41,33,699		16,65,118
विविध व्यय	15		3,600		4,826
(जिस सीमा तक बट्टे खाते नहीं डाला गया या समायोजित नहीं किया गया)					
लेखों पर टिप्पणियाँ	25				
योग			**10,34,16,228**		**9,75,40,761**

अनुसूचियां 1 से 25 तथा महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियों के विवरण लेखों के अभिन्न अंग हैं।

(एस. क्यू. अहमद)
कंपनी सचिव

(सी. पी. सिंह)
निदेशक (वित्त)

(आर. एस. टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एचडीएसजी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

(हरबीर सिंह गुलाटी)
भागीदार
सदस्यता संख्या–84072

दिनांक : 13.08.2010
स्थान : नई दिल्ली

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि लेखा

राशि ₹ हजार में

विवरण	अनुसूची संख्या	वर्ष 2009–2010 के लिए		वर्ष 2009–2010 के लिए	
		₹	₹	₹	₹
आय					
विद्युत बिक्री	16		1,41,67,032		1,06,49,993
अन्य आय	17		72,034		44,293
कुल आय क			**1,42,39,066**		**1,06,94,286**
व्यय					
कर्मचारियों का पारश्रमिक एवं लाभ	18		7,91,955		9,03,477
उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य खर्च	19		8,63,752		6,58,658
ब्याज तथा वित्त पोषण प्रभार	20		41,83,911		38,18,961
मूल्यह्रास			34,58,339		16,14,626
प्रावधान	21		22,107		674
कुल व्यय ख			**93,20,064**		**69,96,396**
कर से पूर्व लाभ तथा पूर्वावधि समायोजन (क–ख)			**49,19,002**		**36,97,890**
घटाएं :					
पूर्वावधि आय/व्यय–(शुद्ध)	22		12,393		25,359
कराधान से पूर्व शुद्ध लाभ			**49,06,609**		**36,72,531**
कराधान के लिए प्रावधान	23				
आयकर		8,55,572		4,15,812	
फ्रिंज लाभ कर		0		3,266	
सम्पत्ति कर		1,792	8,57,364	1,391	4,20,469
आस्थगित कर		(7,50,267)		(6,74,098)	
घटाएं : वसूलनीय/परिसंपत्तियां		0	(7,50,267)	(6,74,098)	0
चालू वर्ष के कर के बाद लाभ			**47,99,512**		**32,52,062**
लाभ तथा हानि लेखा में आधिक्य को आगे ले जाया गया			53,75,380		32,69,869
विनियोजन के लिए उपलब्ध शेष			**1,01,74,892**		**65,21,931**
लाभांश					
अंतरिम लाभांश		6,00,000		7,00,000	
प्रस्तावित लाभांश		8,50,000	14,50,000	2,80,000	9,80,000
लाभांश पर कर					
लाभांश वितरण कर–अंतरिम		1,01,970		1,18,965	
लाभांश वितरण कर–प्रस्तावित		1,44,458	2,46,428	47,586	1,66,551
तुलन–पत्र को अग्रेनीत शेष			**84,78,464**		**53,75,380**

राशि ₹ हजार में

विवरण	अनुसूची संख्या	31/03/2010 की स्थिति ₹	31/03/2010 की स्थिति ₹	31/03/2009 की स्थिति ₹	31/03/2009 की स्थिति ₹
निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय	24				
प्रति शेयर अर्जन (1000 रू. प्रत्येक के इक्विटी शेयर)					
मूल (रू.)			145.55		98.98
कम किया हुआ (रू.)			145.55		98.98

अनुसूचियां 1 से 25 तथा महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियों के विवरण लेखों के अभिन्न अंग हैं।

(एस. क्यू. अहमद)
कंपनी सचिव

(सी. पी. सिंह)
निदेशक (वित्त)

(आर. एस. टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एचडीएसजी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

(हरबीर सिंह गुलाटी)
भागीदार
सदस्यता संख्या–84072

दिनांक : 13.08.2010
स्थान : नई दिल्ली

अनुसूचियां – लेखा के साथ अनुबंधित

अनुसूची : 1

शेयर पूंजी

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 की स्थिति ₹	31/03/2010 की स्थिति ₹	31/03/2009 की स्थिति ₹	31/03/2009 की स्थिति ₹
प्राधिकृत पूंजी				
₹ 1000/– प्रत्येक के 4,00,00,000 इक्विटी शेयर		4,00,00,000		4,00,00,000
निर्गत, अभिदत्त तथा प्रदत्त पूंजी				
₹ 1000/– प्रत्येक के 32975817 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 32975817) उपरोक्त शेयरों में से 7078600 शेयर (पिछले वर्ष 7078600)नगद के अलावा विचार के लिए पूर्णतः प्रदत्त के रूप में आबंटित है।		3,29,75,817		3,29,75,817
योग		**3,29,75,817**		**3,29,75,817**

अनुसूची : 2

आरक्षित एवं अधिशेष

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 की स्थिति ₹	31/03/2010 की स्थिति ₹	31/03/2009 की स्थिति ₹	31/03/2009 की स्थिति ₹
आरक्षित पूंजी				
उ.प्र. सरकार से सिंचाई क्षेत्र के प्रति देय अंशदान	1,44,13,380		1,44,13,380	
घटाएं : बकाया अंशदान	1,542		4,54,942	
प्राप्त अंशदान	**1,44,11,838**		**1,39,58,438**	
घटाएं : मूल्यह्रास में समायोजन	14,03,603	1,30,08,235	6,95,836	1,32,62,602
अन्य आरक्षित पूंजी				
विश्व बैंक से पीएचआरडी अनुदान (वीपीएचईपी परियोजनाओं के लिए)		43,124		43,000
लाभ एवं हानि लेखा में आधिक्य शेष				
लाभ एवं हानि लेखा में आधिक्य शेष तुलन		84,78,464		53,75,380
योग		**2,15,29,823**		**1,86,80,982**

अनुसूची : 3

मूल्यह्रास के विरूद्ध अग्रिम के कारण आस्थगित राजस्व

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 की स्थिति ₹	31/03/2010 की स्थिति ₹	31/03/2009 की स्थिति ₹	31/03/2009 की स्थिति ₹
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार वर्ष के दौरान आस्थगित	24,41,592		12,41,066	
राजस्व	3,91,497		12,00,526	
घटाएं : वर्ष के दौरान चिन्हित राजस्व	0	28,33,089	0	24,41,592
योग		**28,33,089**		**24,41,592**

अनुसूचियां - लेखा के साथ अनुबंधित

अनुसूची : 4

ऋण निधियां

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 की स्थिति		31/03/2009 की स्थिति	
	₹	₹	₹	₹
प्रतिभूति ऋण*				
दीर्घावधि ऋण		4,37,22,586		4,23,00,072
(i) वित्तीय संस्थाओं से ऋण		15,37,587		0
बैंकों में जमा नकद राशि				
उप जोड़		**4,52,60,173**		**4,23,00,072**
अप्रतिभूति ऋण				
विदेशी मुद्रा ऋण				
(भारत सरकार द्वारा गारंटी शुदा)				
वित्तीय संस्था –केएफडब्ल्यू जर्मनी @ से सावधि ऋण		8,17,326		11,42,298
उप जोड़		**8,17,326**		**11,42,298**
कुल योग		**4,60,77,499**		**4,34,42,370**
अगले एक वर्ष के भीतर भुगतान के लिए देय ऋण		**38,77,640**		**36,04,667**

*** प्रतिभूति ऋण में निम्नलिखित शामिल हैं :–**

i) टिहरी चरण–I की परिसंपत्तियों अर्थात बांध, पावर हाउस, सिविल निर्माण, पावर हाउस विद्युतीय एवं अभियांत्रिकीय उपकरणों पर परस्पर आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा सुरक्षित ₹ 3,198.38 करोड़, जो अन्य उधारियों में शामिल नहीं होते हैं तथा टिहरी बांध एवं एचपीपी की परियोजना टाउनशिप में ऋण के सभी अधिकार ताकि उन पर लगे ब्याज शामिल नहीं होते हैं।

ii) कोटेश्वर परियोजना के लिए ₹ 1,113.88 करोड़ कोटेश्वर एचईपी की परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार से सुरक्षित हैं

iii) ₹ 60.00 करोड़ जिस पर परस्पर आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा टिहरी चरण–I की परिसंपत्तियों पर

iv) बैंक में जमा नकद राशि कम्पनी की परिसम्पत्तियों के ब्लॉक पर द्वितीय प्रभार द्वारा सुरक्षित है।

@ अप्रतिभूति ऋण :–

समरूप संबंधित ऋण श्रेणी के अंतर्गत वित्त पोषित उपकरणों पर ऋणात्मक ग्रहणाधिकार के साथ।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

अनुसूचियां - लेखा के साथ अनुबंधित

अनुसूची : 5

अचल परिसंपत्तियों की अनुसूची

राशि ₹ हजार में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल 2009 की स्थिति	1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 के बीच संवर्धन	1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 के बीच बिक्री/समायोजन	31 मार्च 2010 की स्थिति	1 अप्रैल 2009 की स्थिति	1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 के बीच की अवधि के लिए	1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 के बीच समायोजन	31 मार्च 2010 की स्थिति	31 मार्च 2010 की स्थिति	31 मार्च 2009 की स्थिति
1. फ्री होल्ड भूमि	1,84,916	3,749	-	1,88,665	-	-	-	-	1,88,665	1,84,916
2. लीज होल्ड भूमि	21,800	4,519	-	26,319	1,913	876	-	2,789	23,530	19,887
3. अवर्गीकृत भूमि	1,27,85,538	3,49,129	(2,395)	1,31,32,272	8,47,532	4,31,314	-	12,78,846	1,18,53,426	1,19,38,006
4. भवन	8,46,871	2,67,353	(384)	11,13,840	95,843	36,089	468	1,32,400	9,81,440	7,51,028
5. भवन अस्थायी ढांचे	10,381	30,008	-	40,389	2,829	37,541	19	40,389	-	7,552
6. सड़क, पुल तथा पुलिया	2,78,154	1,09,092	-	3,87,246	24,066	11,979	36	36,081	3,51,165	2,54,088
7. जल निकासी, मल निकासी व्यवस्था तथा जलपूर्ति	1,35,664	1,800	-	1,37,464	24,219	6,296	-	30,515	1,06,949	1,11,445
8. निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी	1,50,746	15,946	-	1,66,692	1,20,968	3,847	102	1,24,917	41,775	29,778
9. उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	1,60,03,271	1,10,839	(3,01,185)	1,58,12,925	9,87,503	8,48,040	(17,518)	18,18,025	1,39,94,900	1,50,15,768
10. ई.डी.पी. मशीनें	82,383	2,486	(1,249)	83,620	42,470	9,268	(1,160)	50,578	33,042	39,913
11. विद्युत संस्थापनाएं	52,350	22,521	-	74,871	12,953	3,223	-	16,176	58,695	39,397
12. पारेषण लाइनें	1,02,880	32,518	-	1,35,398	18,863	7,610	925	27,398	1,08,000	84,017
13. कार्यालय तथा अन्य उपकरण	2,05,138	45,987	(118)	2,51,007	57,607	15,453	(133)	72,927	1,78,080	1,47,531
14. फर्नीचर तथा फिक्सचर	72,009	22,077	(347)	93,739	24,787	6,096	(314)	30,569	63,170	47,222
15. वाहन	75,989	15,526	(3,170)	88,345	52,835	4,040	(2,718)	54,157	34,188	23,154
16. रेलवे साइडिंग	12,189	-	-	12,189	394	407	-	801	11,388	11,795
17. अमूर्त आस्तियां–साफ्टवेयर	18,972	1,161	-	20,133	7,295	3,272	-	10,567	9,566	11,677
18. हाइड्रोलिक कार्य – बांध एवं स्पिलवे	4,00,85,561	12,201	(22,884)	4,00,74,878	17,88,121	21,15,513	(515)	39,03,119	3,61,71,759	3,82,97,440
19. हाइड्रोलिक कार्य–टनल, पेनस्टॉक, केनाल्स इत्यादि	1,31,01,418	47,714	(14,736)	1,31,34,396	12,72,305	7,07,975	(222)	19,80,058	1,11,54,338	1,18,29,113
20. निवल बही मूल्य या निवल वसूलनीय मूल्य, जो कम हो, में अप्रयोज्यनीय/अप्रचलित आस्तियां	510	-	15,952	16,462	-	-	-	-	16,462	510
21. आस्तियों पर पूंजीगत व्यय, जो कम्पनी के स्वामित्व में नहीं है।	2,31,919	5,030	-	2,36,949	1,14,836	45,716	-	1,60,552	76,397	1,17,083
योग	**8,44,58,659**	**10,99,656**	**(3,30,516)**	**8,52,27,799**	**54,97,339**	**42,94,555**	**(21,030)**	**97,70,864**	**7,54,56,935**	**7,89,61,320**
पिछले वर्ष के आंकड़े	**8,14,78,633**	**29,93,938**	**(13,912)**	**8,44,58,659**	**34,45,905**	**20,23,872**	**27,562**	**54,97,339**	**7,89,61,320**	**7,80,32,728**

मूल्यह्रास का ब्यौरा	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
ई.डी.सी. को हस्तांरित मूल्यह्रास	1,28,449	1,08,080
लाभ हानि लेखा को हस्तांरित मूल्यह्रास	34,58,339	16,14,626
उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई अंशदान–आरक्षित पूंजी में मूल्यह्रास समायोजन	7,07,767	3,01,166
	42,94,555	**20,23,872**

अनुसूचियां - लेखा के साथ अनुबंधित

अनुसूची : 6

पूंजीगत कार्य प्रगतिपर

राशि ₹ हजार में

विवरण		31/03/2010 की स्थिति		31/03/2009 की स्थिति	
		₹	₹	₹	₹
निर्माण कार्य प्रगति पर					
– भवन एवं अन्य सिविल कार्य		3,84,514		2,30,112	
– सडक, पुल तथा पुलिया		2,75,072		1,56,991	
– जलापूर्ति, सीवरेज और जल निकासी		9,112		0	
– उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी		49,44,564		32,58,375	
– जलीय कार्य, बांध, स्पिलवे, जल मार्ग, वियर्स, सर्विस द्वार तथा अन्य जलीय कार्य		1,37,55,078		1,00,86,943	
– जलागम क्षेत्र वनीकरण		80,025		80,025	
– विद्युत संस्थापना तथा उपकेन्द्र उपकरण		30,898		28,889	
– अमूर्त आस्तिया– सापटवेयर		0		405	
– परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय जो कम्पनी के स्वामित्व मे नहीं हैं।		23,853		27,691	
अन्य		8,381	1,95,11,497	0	1,38,69,431
उत्पादन संयंत्र एवं मार्गस्थ मशीनरी			70,916		1,16,938
व्यय लम्बित आबंटन					
– सर्वेक्षण तथा विकास खर्च		5,18,664		4,25,264	
– निर्माण के दौरान व्यय	24	17,691	5,36,355	17,790	4,43,054
पुनर्वास					
– पुनर्वास खर्च (सांकेतिक लागत तथा किराए की निवल वसूलियां)			4,14,865		2,71,537
योग			**2,05,33,633**		**1,47,00,960**

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

अनुसूचियां - लेखा के साथ अनुबंधित

अनुसूची : 7

निर्माण भण्डार एवं पूंजीगत अग्रिम

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 की स्थिति		31/03/2009 की स्थिति	
	₹	₹	₹	₹
निर्माण भण्डार (प्रबंधन द्वारा यथाप्रमाणित लागत पर)				
अन्य सिविल एवं भवन निर्माण सामग्री	6,725		9,758	
अन्य	39,008		37,129	
मार्गस्थ सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)	211		0	
निरीक्षणाधीन सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)	2,431		1,779	
	48,375		48,666	
घटाएं : स्टोर्स एवं स्पेयर्स के लिए प्रावधान	25,246	23,129	25,246	23,420
पूंजीगत अग्रिम				
पूंजीगत व्यय के लिए				
अप्रतिभूति				
(i) बैंक गारंटी के बाबत	1,46,339		2,22,678	
(ii) पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (उत्तराखण्ड सरकार एसएलएओ)	4,12,189		7,02,125	
(iii) अन्य	16,61,827		11,01,047	
(iv) अग्रिमों पर उपर्जित ब्याज	2,94,610		1,59,267	
	25,14,965		21,85,117	
घटाएं : अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	0		0	
		25,14,965		21,85,117
योग		**25,38,094**		**22,08,537**
पूंजीगत अग्रिम				
शोध्य समझे गए (अप्रतिभूति)		25,14,965		21,85,117
संदिग्ध समझे गए तथा प्रावधन किए गए		0		0
कुल पूंजीगत अग्रिम		**25,14,965**		**21,85,117**

अनुसूची : 8

वस्तु सूची

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 की स्थिति		31/03/2009 की स्थिति	
	₹	₹	₹	₹
(प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित लागत पर)				
सीमेंट	21,932		18,807	
अन्य सिविल एवं भवन निर्माण सामग्री	1,59,205		1,28,658	
अन्य	367		0	
मार्गस्थ सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)	4,157		4,300	
निरीक्षणाधीन सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)	1,85,661		1,51,765	
घटाएं : वस्तु सूची के लिए प्रावधान	15,455	1,70,206	0	1,51,765
योग		**1,70,206**		**1,51,765**

अनुसूचियां - लेखा के साथ अनुबंधित

अनुसूची : 9
विविध देनदार

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 की स्थिति		31/03/2009 की स्थिति	
	₹	₹	₹	₹
छः माह से अधिक समय से बकाया ऋण				
असुरक्षित, शोध्य समझे गए	22,91,402		22,23,566	
संदिग्ध समझे गए	0	22,91,402	0	22,23,566
अन्य ऋण				
असुरक्षित, शोध्य समझे गए	52,91,874		15,20,615	
संदिग्ध समझे गए	0	52,91,874	0	15,20,615
घटाएं : अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		6,595		0
कुल		**75,76,681**		**37,44,181**

अनुसूची : 10
नगदी एवं बैंक शेष

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 की स्थिति		31/03/2009 की स्थिति	
	₹	₹	₹	₹
नगदी एवं बैंक शेष		571		398
विद्यमान नगद, चैक, डिमांड ड्राफ्ट तथा टिकटें				
अनुसूचित बैंकों के पास शेष	2,30,299		5,87,719	
चालू खाता (अनुसूचित बैंकों में ऑटो-स्वीप, फ्लैक्सी किस्म की जमाराशियाँ सहित)		2,30,299		5,87,719
योग		**2,30,870**		**5,88,117**

अनुसूची : 11
अन्य चालू परिसंपत्तियां

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 की स्थिति		31/03/2009 की स्थिति	
	₹	₹	₹	₹
अन्य चालू परिसंपत्तियां				
उपार्जित ब्याज		60		2,582
पूर्व भुगतान खर्च		16,128		16,596
योग		**16,188**		**19,178**

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

अनुसूचियां - लेखा के साथ अनुबंधित

अनुसूची : 12
ऋण तथा अग्रिम

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 की स्थिति		31/03/2009 की स्थिति	
	₹	₹	₹	₹
ऋण				
कर्मचारियों के लिए				
प्रतिभूति	2,57,077		2,67,320	
अप्रतिभूति	27,068	2,84,145	28,629	2,95,949
कर्मचारियों के ऋणों पर उपार्जित ब्याज				
प्रतिभूति	1,50,161		1,22,423	
अप्रतिभूति	18,788	1,68,949	30,726	1,53,149
अन्य		0		61
		4,53,094		4,49,159
अग्रिम				
(नगद या वस्तुओं के रूप में वसूलनीय अग्रिम या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए)				
अप्रतिभूति	15,911		18,067	
क्रय के लिए	16,009		35,412	
अन्य के लिए	7,41,421	7,73,341	6,80,342	7,33,821
जमाराशियां				
प्रतिभूति जमा	19,798		12,318	
जमा किया गया कर	4,950		16,431	
सरकार/न्यायालय में जमाराशियां	50,177		47,794	
अन्य जमाराशियां	114	75,039	1,282	77,825
उप जोड़		**13,01,474**		**12,60,805**
घटाएं : अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान		1,485		6,501
योग		**12,99,989**		**12,54,304**
टिप्पणी : निदेशकों से देय वर्ष के दौरान अधिकतम देय राशि ₹ 64,932.00 (पिछले वर्ष ₹ 76,992.00)				
मूलधन		0		37
ब्याज		0		0
योग		**0**		**37**
टिप्पणी : अधिकारियों से देय वर्ष के दौरान अधिकतम देय राशि ₹ 9,15,908.00 (पिछले वर्ष ₹ 9,63,662.00)				
मूलधन		324		400
ब्याज		516		488
योग		**840**		**888**
ऋणों तथा अग्रिमों के विवरण				
शोध्य समझे गए				
ऋण तथा अग्रिम (प्रतिभूति)	4,07,014		3,89,743	
ऋण तथा अग्रिम (अप्रतिभूति)	8,92,975	12,99,989	8,64,561	12,54,304
संदिग्ध समझे गए तथा जिनके लिए प्रावधान किया गया		1,485		6,501
योग		**13,01,474**		**12,60,805**

अनुसूचियां - लेखा के साथ अनुबंधित

अनुसूची : 13

चालू देनदारियां

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 की स्थिति		31/03/2009 की स्थिति	
	₹	₹	₹	₹
विविध लेनदार				
पूंजीगत व्यय के लिए	4,14,714		4,69,041	
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए	0		0	
अन्यो के लिए	1,16,941	5,31,655	1,26,450	5,95,491
जमाराशियां, ठेकेदारों से प्रतिधारण राशि इत्यादि		1,39,852		1,57,032
उपार्जित ब्याज, लेकिन जो देय नहीं है				
वित्तीय संस्थाएं	7,30,961	7,30,961	7,17,511	7,17,511
अन्य देनदारियां		77,897		1,85,655
योग		14,80,365		16,55,689

अनुसूची : 14

प्रावधान

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 की स्थिति		31/03/2009 की स्थिति	
	₹	₹	₹	₹
I. निर्माण				
प्रारंभिक शेष	3,99,032		1,36,337	
वर्ष के दौरान वृद्धि	3,26,484		7,12,416	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त/समायोजित	(3,55,225)	3,70,291	(4,49,721)	3,99,032
II. कर्मचारियों से संबंधित				
प्रारंभिक शेष	16,68,374		9,17,507	
वर्ष के दौरान वृद्धि	4,35,811		8,32,880	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त/समायोजित	(1,10,501)	19,93,684	(82,013)	16,68,374
III. प्रस्तावित लाभांश				
प्रारंभिक शेष	2,80,000		40,000	
वर्ष के दौरान वृद्धि	8,50,000		2,80,000	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त/समायोजित	(2,80,000)	8,50,000	(40,000)	2,80,000
IV. अंतरिम लाभांश पर कर				
प्रारंभिक शेष	0		1,58,903	
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,01,970		0	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त/समायोजित	(1,01,970)	0	(1,58,903)	0
V. प्रस्तावित लाभांश पर कर				
प्रारंभिक शेष	47,586		6,798	
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,44,458		47,586	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त/समायोजित	(47,586)	1,44,458	(6,798)	47,586
VI. कर एवं अन्य				
प्रारंभिक शेष	41,746		16,783	
वर्ष के दौरान वृद्धि	3,68,919		46,103	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त/समायोजित	(89,228)	3,21,437	(21,140)	41,746
योग		36,79,870		24,36,738

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

अनुसूचियां - लेखा के साथ अनुबंधित

अनुसूची : 15

विविध व्यय (जिस सीमा तक बट्टे खाते में न डाला गया हो या समायोजित किया गया हो)

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 की स्थिति		31/03/2009 की स्थिति	
	₹	₹	₹	₹
आस्थगित राजस्व व्यय	3,415		4,634	
कमी लंबित छानबीन	185	3,600	192	4,826
योग		3,600		4,826

अनुसूची : 16

विद्युत बिक्री

विवरण	31/03/2010 को समाप्त वर्ष		31/03/2009 को समाप्त वर्ष	
	₹	₹	₹	₹
विद्युत बिक्री	1,43,29,193		1,11,34,939	
घटाएं :-				
मूल्यह्रास के विरुद्ध अग्रिम-आस्थगित	3,91,497	1,39,37,696	12,00,526	99,34,413
लाभार्थियों से आयकर वसूली		0		4,17,894
लाभार्थियों से एफईआरवी वसूली		47,550		61,453
यू.आई./सकुचन प्रभार		1,81,786		2,36,233
योग		1,41,67,032		1,06,49,993

अनुसूची : 17

अन्य आय

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 को समाप्त वर्ष		31/03/2009 को समाप्त वर्ष	
	₹	₹	₹	₹
ब्याज				
बैंक जमाराशि पर (टीडीएस ₹ 90,495.00 शामिल है, (पिछले वर्ष ₹ 5,28,455.00)	5,660		33,174	
कर्मचारियों से	23,229		24,323	
अन्य से	3,028	31,917	1,272	58,769
मशीन किराए पर लेने पर प्रभार		373		176
किराया प्राप्तियां		2,946		2,032
फुटकर प्राप्तियां		16,729		12,393
प्रावधान की गई अधिक राशि को हटाना		321		630
परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ		36,278		4,533
विलम्ब भुगतान अधिभार		6,247		7,368
योग		94,811		85,901
घटाएं : ईडीसी अनुसूची को अंतरित		22,777		41,608
योग		72,034		44,293

अनुसूचियां - लेखा के साथ अनुबंधित

अनुसूची : 18

कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं लाभ

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 को समाप्त वर्ष		31/03/2009 को समाप्त वर्ष	
	₹	₹	₹	₹
वेतन, मजदूरी, भत्ते एवं लाभ		13,87,012		16,24,555
भविष्य निधि एवं अन्य निधि में अंशदान		1,68,500		1,19,629
उपदान		1,50,978		2,24,583
कल्याण		49,650		51,425
योग		**17,56,140**		**20,20,192**
घटाएं :				
ईडीसी अनुसूची को अंतरित		9,64,185		11,16,715
योग		**7,91,955**		**9,03,477**

अनुसूची : 19

उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 को समाप्त वर्ष		31/03/2009 को समाप्त वर्ष	
	₹	₹	₹	₹
किराया, दर एवं कर				
कार्यालय किराया	14,849		12,274	
कर्मचारी आवास किराया	26,537		20,277	
दर एवं कर	13,670	55,056	19,130	51,681
विद्युत एवं ईंधन		97,457		1,69,902
बीमा		39,039		45,476
संचार		16,701		15,287
मरम्मत एवं अनुरक्षण				
संयंत्र एवं मशीनरी	83,672		1,02,658	
भवन	85,941		55,918	
अन्य	1,35,030	3,04,643	1,34,403	2,92,979
यात्रा एवं वाहन		92,959		85,327
वाहन भाड़े पर लेना एवं चालन		79,074		66,091
सुरक्षा		1,23,718		1,19,453
प्रचार तथा जनसंपर्क		30,913		25,915
अन्य सामान्य व्यय		1,69,623		1,54,483
परिसंपत्तियों पर हानि		1,27,245		813
सर्वेक्षण एवं अन्वेषण ख़र्चे		30,636		49,179
बट्टे खाते में डाले गए आस्थगित राजस्व व्यय		1,219		1,220
निगम की सामाजिक गतिविधियों पर व्यय		1,04,031		6,405
योग		**12,72,314**		**10,84,211**
घटाएं :				
ईडीसी अनुसूची को अंतरित		4,08,562		4,25,553
योग		**8,63,752**		**6,58,658**

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

अनुसूचियां - लेखा के साथ अनुबंधित

अनुसूची : 20

ब्याज एवं वित्त–पोषण प्रभार

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 को समाप्त वर्ष		31/03/2009 को समाप्त वर्ष	
	₹	₹	₹	₹
ऋणों पर ब्याज		50,70,875		41,98,813
ग्राहकों को छूट		1,14,701		1,35,680
योग		**51,85,576**		**43,34,493**
घटाएं :				
अंतरित तथा सीडब्ल्यूआईपी लेखा के साथ पूंजीकृत		10,01,665		5,15,532
योग		**41,83,911**		**38,18,961**

अनुसूची : 21

प्रावधान

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 को समाप्त वर्ष		31/03/2009 को समाप्त वर्ष	
	₹	₹	₹	₹
अशोध्य ऋणों, ब्याजों तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान		6,652		631
भण्डारों तथा कल–पूर्जों के लिए प्रावधान		15,455		56
योग		**22,107**		**687**
घटाएं :				
ईडीसी अनुसूची को अंतरित		0		13
योग		**22,107**		**674**

अनुसूची : 22

पूर्वावधि आय/व्यय–(शुद्ध)

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 को समाप्त वर्ष		31/03/2009 को समाप्त वर्ष	
	₹	₹	₹	₹
आय				
बिक्री	0		10,225	
अन्य	2,945		0	
विविध प्राप्ति	0	2,945	71	10,296
व्यय				
कार्मिक व्यय	1,282		45	
विद्युत एवं ईंधन	886		(1,660)	
मरम्मत एवं अनुरक्षण	0		1,264	
अन्य सामान्य व्यय	414		118	
मूल्यह्रास	617		36,220	
सुरक्षा	17,667		0	
किराया दर और कर	55		0	
विविध – अन्य	917	21,838	0	35,987
योग		**18,893**		**25,691**
घटाएं :				
ईडीसी अनुसूची को अंतरित		6,500		332
योग		**12,393**		**25,359**

अनुसूचियां - लेखा के साथ अनुबंधित

अनुसूची : 23

कराधान के लिए प्रावधान

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 को समाप्त वर्ष		31/03/2009 को समाप्त वर्ष	
	₹	₹	₹	₹
आयकर				
चालू वर्ष		8,55,572		4,15,812
योग		**8,55,572**		**4,15,812**
घटाएं :				
ईडीसी अनुसूची को अंतरित		0		0
योग		**8,55,572**		**4,15,812**
फ्रिंज लाभ कर				
चालू वर्ष		0		18,476
योग		**0**		**18,476**
घटाएं :				
ईडीसी अनुसूची को अंतरित		0		15,210
योग		**0**		**3,266**
संपत्ति कर				
चालू वर्ष		3,879		3,042
योग		**3,879**		**3,042**
घटाएं :				
ईडीसी अनुसूची को अंतरित		2,087		1,651
योग		**1,792**		**1,391**

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

अनुसूचियां - लेखा के साथ अनुबंधित

अनुसूची : 24

निर्माण के दौरान व्यय

राशि ₹ हजार में

विवरण	अनुसूची संख्या	31/03/2010 को समाप्त वर्ष		31/03/2009 को समाप्त वर्ष	
		₹	₹	₹	₹
व्यय					
कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं लाभ	18				
वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ		7,80,618		9,02,547	
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान		86,495		68,475	
उपदान		76,897		1,20,410	
कल्याण		20,175	9,64,185	25,283	11,16,715
प्रशासन तथा अन्य व्यय	19				
किराया, दर एवं कर					
कार्यालय किराया		13,396		11,098	
कर्मचारी आवास किराया		19,489		15,939	
दर एवं कर		1,290	34,175	1,813	28,850
ऊर्जा एवं ईंधन			30,819		54,085
बीमा			1,169		1,140
संचार			9,796		10,973
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
संयत्र एवं मशीनरी		396		798	
भवन		20,271		31,445	
अन्य		46,680	67,347	49,957	82,200
			63,048		55,276
यात्रा एवं वाहन			43,771		33,987
वाहन भाड़े पर लेना एवं चालन			37,787		45,894
सुरक्षा			15,508		16,292
प्रचार तथा जनसंपर्क			1,04,659		92,433
अन्य सामान्य व्यय			81		670
परिसंपत्तियों पर हानि			144		0
सर्वेक्षण और अन्वेषण व्यय			258		270
बट्टे खाते में डाले गए आस्थगित राजस्व व्यय			0		3,483
निगम की सामाजिक गतिविधियों पर व्यय					
प्रावधान	21				
भण्डारण एवं कल-पुर्जों के लिए प्रावधान		0	0	13	13
मूल्यह्रास			1,28,449		1,08,080
कुल व्यय (क)			**15,01,196**		**16,50,361**

अनुसूचियां - लेखा के साथ अनुबंधित

राशि ₹ हजार में

विवरण	अनुसूची संख्या	31/03/2010 को समाप्त वर्ष		31/03/2009 को समाप्त वर्ष	
		₹	₹	₹	₹
प्राप्तियां					
अन्य आय	17				
ब्याज		3,432		21,500	
कर्मचारियों से		11,626		12,551	
अन्य		1,800	16,858	738	34,789
मशीन किराया प्रभार			215		45
किराया प्राप्तियां			1,994		1,247
फुटकर प्राप्तियां			3,270		2,677
प्रावधान की गई अधिक राशि को हटाना			73		602
परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ			367		2,248
कुल प्राप्तियां (ख)			**22,777**		**41,608**
पूर्वावधि समायोजन	22		6,500		332
कराधान से पूर्व शुद्ध व्यय			**14,84,919**		**16,09,085**
कराधान के लिए प्रावधान	23				
फ्रिंज लाभ कर		0		15,210	
सम्पत्ति कर		2,087	2,087	1,651	16,861
कराधान सहित शुद्ध व्यय			**14,87,006**		**16,25,946**
पिछले वर्ष से आगे लाया गया शेष			17,789		2,223
कुल ईडीसी			**15,04,795**		**16,28,169**
घटाएं :					
सीडब्ल्यूआईपी को आबंटित ईडीसी / परिसम्पत्ति			14,67,389		15,72,429
अनुमोदनाधीन परियोजना की ईडीसी			19,715		37,950
लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभारित					
सीडब्ल्यूआईपी को अग्रेषित शेष			**17,691**		**17,790**

अनुसूची : 25
लेखा संबंधी टिप्पणियां

1. पूंजीगत खातों में निष्पादित किए जाने के लिए बाकी बचे ठेकों की अनुमानित राशि तथा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिमों का निवल) ₹ 21,969.79 लाख (₹ 44,482.90 लाख) है।

2. आकस्मिक देयताएं

	(₹ लाख में) 2009-10	2008-09
(i) कंपनी के प्रति दावे, जिन्हें कर्ज नहीं माना गया है : माध्यस्थम/अदालती मामले (इसमें विभिन्न माध्यस्थम/श्रम अदालती मामलों में कंपनी के विरूद्ध डिक्री की गयी ₹ 219.22 लाख (विगत वर्ष ₹ 258.47 लाख) की राशि शामिल है, जिनमें कंपनी ने पैसे जमा किए लेकिन जो विवादित हैं और अपीलों के अंतर्गत हैं।)	1,24,046.16	1,29,974.14
(ii) विवादित आयकर, व्यापार कर, वाणिज्य कर, प्रवेश कर जिसमें कंपनी द्वारा जमा किए गए ₹ 254.96 लाख (विगत वर्ष ₹ 191.88) शामिल हैं। कंपनी ने इनके बारे में अपील की हुई है।	746.46	1,042.74
(iii) अन्य (ठेकेदारों के दावे आदि)	12,977.95	49,332.14

(iv) कर्मचारियों/विस्थापितों तथा अन्यों के द्वारा दायर किए गए दावों/अदालती मामलों के संबंध में देनदारी की राशि, यदि कोई हो, सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

3. कंपनी ने ₹ 739.28 लाख (विगत वर्ष ₹ 580.82 लाख) की एफडीआर/सीडीआर, ईएमडी/ प्रतिभूति जमा के रूप में भी स्वीकार की है। इसके अलावा अनुसूची –13 में प्रकट की गई सूचना के अनुसार ठेकेदारों से ₹ 1398.52 लाख (विगत वर्ष ₹ 1570.32 लाख) "जमा, प्रतिधारण राशि" के रूप में रखा है।

4. कंपनी के पास विद्युत के विभिन्न लाभार्थियों से ₹ 1907.38 लाख (विगत वर्ष ₹ 1984.75 लाख) की राशि भुगतान के लिए बैंकर प्रतिभूति के तौर पर पक्के साख पत्र (एलसी) हैं।

5. नए टिहरी शहर में सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों को अतिरिक्त जगह उपलब्ध कराने के लिए ₹ 7800.00 लाख की रकम खर्च की गयी थी। यह राशि उत्तराखंड सरकार (जीओयूके) से वसूल की जानी है। भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार, उत्तराखंड सरकार की ओर से 2005–06 में पंजाब नैशनल बैंक से ₹ 7800.00 लाख के सावधि ऋण लिए गये। यह राशि ब्याज सहित टिहरी एच ई पी चरण–I से दी जाने वाली 12% निःशुल्क विद्युत के उनके हिस्से से वसूल की जानी है। 27.03.2009 को विद्युत मंत्रालय के सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में हुई बैठक में आपस में यह तय कर लिया गया कि टीएचडीसी द्वारा आवासीय/गैर–आवासीय भवनों के रूप में उपलब्ध कराई गयी अतिरिक्त जगह के लिए उत्तराखंड सरकार ₹ 7800.00 लाख की प्रतिपूर्ति कर देगी। बांध के निर्माण में प्रयुक्त क्ले/शेल सामग्री पर रॉयल्टी के लिए समझौता है अतः उत्तराखंड सरकार या टीएचडीसी एक दूसरे को देय राशि पर कोई ब्याज नहीं वसूलेंगे। तदनुसार उत्तराखंड सरकार से वसूली योग्य ₹ 1857.42 लाख का ब्याज समायोजित कर लिया गया। आगे यह भी फैसला किया गया कि रॉयल्टी प्रभार की राशि टीएचडीसी द्वारा दी गयी वास्तविक मात्राओं के आधार पर निकाली जाएगी। रॉयल्टी की रकम का हिसाब कर लिया गया है और यह ₹ 3820.00 लाख बैठती है। डीएम के पास जमा ₹ 1900.00 लाख घटाने के बाद बाकी राशि ₹ 1920.00 लाख बनती है जिसे ₹ 7800.00 लाख में से समायोजित कर लिया गया है और बाकी ₹ 5880.00 लाख की राशि को अनुसूची–12 में उत्तराखंड सरकार से वसूली योग्य दर्शाया गया है। संयुक्त सचिव (हाइड्रो) की अध्यक्षता में दिनांक 11.05.2010 को आयोजित बैठक में इस मामले पर आगे विचार किया गया जहां उत्तराखंड की सरकार के प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि धनराशि शीघ्र जारी करने के लिए राज्य के वित्त विभाग से उठाया जाएगा।

कंपनी ने हाई कोर्ट, नैनीताल में एक याचिका दायर करके रॉयल्टी और ब्याज के रूप में वसूली जाने वाली ₹ 6448.58 लाख की वसूली पर स्टे लगाने का अनुरोध किया है। लेकिन 27 मार्च, 2009 के ऊपर बताई गयी संयुक्त बैठक के बाद नैनीताल हाई कोर्ट से याचिका वापस लेने के बारे में टिहरी के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) से संपर्क किया गया है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने अपने 25.5.2009, 21.07.2009 और 4.3.2010 के पत्रों के माध्यम से उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव से 27.3.2009 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है। उत्तराखंड की सरकार ने कार्यवृत्त के अनुसार कंपनी द्वारा दायर किए गए शपथ–पत्र पर आपत्ति नहीं की है। इस मामले में माननीय

उच्च न्यायालय नैनीताल का निर्णय अभी प्रतीक्षित है। हालांकि लेखा बहियों में आवश्यक समायोजन शामिल कर दिए गए हैं।

6. (i) वर्ष के लिए उधार ली गयी कुल निधियों पर ब्याज ₹ 50114.46 लाख (विगत वर्ष ₹ 42155.41 लाख) बैठता है। उधार लागत की राशि के रूप में वर्ष के दौरान ₹ 10016.65 लाख (विगत वर्ष ₹ 5155.32 लाख) पूंजीकृत की गयी थी। इससे पहले वर्ष के दौरान अधिशेष उधार की निधियों पर अल्पावधि जमा पर मिले ब्याज की राशि ₹ 9.06 लाख (विगत वर्ष ₹ 11.78 लाख) को समायोजित कर दिया गया था।

(ii) वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव राशि ₹ 963.89 लाख (विगत वर्ष ₹ 932.79 लाख) को प्रगति पर पूंजीगत कार्यों / परिसंपत्तियों में समायोजित किया गया है।

7. कोटेश्वर परियोजना में डायवर्जन सुरंग को 28 दिसम्बर, 2003 को पूंजीकृत किया गया था। पिछले वर्षों के दौरान डायवर्जन सुरंग के परिशोधन को सुरंग के अपेक्षित उपयोगी जीवन के ऊपर सीधी रेखा विधि से प्रभारित किया गया है। इसका उपयोग परियोजना की पहली यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन के बाद बन्द हो जाएगा। पहली यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की संभावित निर्धारित तिथि 31 दिसम्बर, 2010 है। तदनुसार वर्ष के दौरान समायोजित की जाने वाली परिशोधन की दर 7.89% (पिछले वर्ष 11.05%) निकाली गयी। तथापि स्टेशन के वाणिज्यिक प्रचालन की निर्धारित तिथि 31 अक्तूबर, 2011 है।

8. (i) कंपनी के कर्मचारियों का वेतन संशोधन 01.01.2007 से देय है। वेतन संशोधन लागू होने तक इस कार्य के लिए अनुमान के आधार पर ₹ 4669.88 लाख (पिछले वर्ष ₹ 3126.29 लाख) का प्रावधान किया गया है। ऐसा करते हुए भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखा गया है।

(ii) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत टीएचडीसी शिक्षा प्रबंध बोर्ड एक स्वायत्त इकाई है टीएचडीसीआईएल वेतन, भत्तों और उपदान आदि पर हुई खर्च की धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार है। ईएमबी में कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन को ईएमबी द्वारा अंतिम रूप दिया जाना है। चूंकि ईएमबी वेतनमान में संशोधन के कारण पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव को अभी निश्चित कर सूचित नहीं कर सकी इसलिए लेखा बहियों में इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

9. कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने में देरी होने के कारण 114.22 एकड़ जमीन, जिसकी कीमत ₹ 70.18 लाख रुपये (विगत वर्ष 107.05 एकड़ जिसका मूल्य ₹ 63.49 लाख थी) के हक विलेख अभी कंपनी के नाम से रजिस्टर किए जाने हैं।

10. (i) चालू पूंजीगत कार्य के अंतर्गत पुनर्वास खर्चों में कार्यों के निष्पादन / विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए अधिग्रहीत की गयी 608.77 एकड़ (पिछले वर्ष 600.86 एकड़) जमीन की लागत के लिए ₹ 460.63 लाख (विगत वर्ष ₹ 437.71 लाख) राशि शामिल है।

इसके अलावा टिहरी एचपीपी चरण–I से संबंधित सीडब्ल्यूआईपी और ईडीसी के पुनर्वास के लिए ₹ 3467.34 लाख (विगत वर्ष ₹ 5720.60 लाख) वर्ष 2009–10 के दौरान पूंजीकृत किए गये, जिसमें शून्य एकड़ (विगत वर्ष 29.12 एकड़) जमीन के अधिग्रहण के लिए ₹ 177.84 लाख (विगत वर्ष ₹ 74.46 लाख) शामिल हैं।

(ii) पुनःस्थापन के लिए नये स्थानों पर विस्थापितों को आबंटित सम्पत्ति का पंजीकरण चल रहा है और इसकी देख–रेख उत्तराखंड सरकार द्वारा की जा रही है, जिसे बांध के विस्थापितों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।

(iii) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिनांक 17 / 23 अक्टूबर, 2002 के आदेश संख्या एफ सं. 8–3 / 89–एफ सी के अनुसरण में उत्तराखंड सरकार ने दिनांक 30 अक्टूबर, 2002 के कार्यालय आदेश संख्या जीआई–186 / 7–1–2002–300(459) / 88 अंतर्गत कोटेश्वर बांध परियोजना (4X100 मेगावाट) के निर्माण के लिए कंपनी के पक्ष में 30 वर्ष के पट्टे पर 338.932 हेक्टेयर सिविल सोयम तथा वन भूमि के डायवर्जन का आदेश जारी किया है। 337.057 हेक्टेयर के लिए पट्टा विलेख उत्तराखंड सरकार के साथ 01.01.2003 को निष्पादित किया जा चुका है। 1.875 हेक्टेयर वन भूमि के लिए पट्टा विलेख, जिसके लिए भुगतान किया जा चुका है, कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए लम्बित है तथा पट्टा धारण भूमि के तौर पर दिखाया गया है। 338.932 हेक्टेयर में से 218.307 हेक्टेयर भूमि डूब क्षेत्र में आती है और बांध के पूरा होने पर पूंजीकृत किये जाने के लिए पुनर्वास के अंतर्गत दिखायी गयी है। डूब क्षेत्र के ऊपर 120.625 हेक्टेयर भूमि के बारे में ₹ 67.84 लाख की राशि को 30 वर्षों में परिशोधित किया जा रहा है।

(iv) कोटेश्वर बांध परियोजना (4X100 मेगावाट) के निर्माण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी को निःशुल्क दी गयी 14.37 एकड़ भूमि का हिसाब एक रुपये की सांकेतिक कीमत पर लगाया है।

(v) भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 07.03.2007, 27.09.2007, 29.04.2008 और 29.12.2008 के आदेश सं. 08बी / यूसीपी / 06 / 305 / 2006 / एफसी / 2013, 967, 968 और सं. 08बी / यूसीपी / 06 / 312 / 2006 / एफसी / 144, 08बी / यूसीपी / 06 / 303 / 2008 / एफसी / 1585 द्वारा विष्णुगाड पीपलकोटी परियोजना में सड़क बनाने के लिए कंपनी के पक्ष में 30 वर्षों की अवधि के लिए 19.883 हेक्टेयर वन भूमि पट्टे पर देने के लिए मंजूरी दी गयी है जिसके लिए पट्टा प्रीमियम अदा कर दिया गया है। इस भूमि को लीज होल्ड के रूप में दिखाया गया है। लेकिन, इसके बारे में कानूनी औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी हैं।

11. (i) अचल परिसम्पत्तियों के वास्तविक सत्यापन के दौरान जो छोटी–मोटी कमियां पायी गयी हैं, उनकी जांच की जा रही है तथा कमियों को दूर किया जा रहा है। आवश्यक समायोजन अंतिम निस्तारण पर किया जाएगा।

(ii) वास्तविक लागत के अभाव में वास्तविक सत्यापन के दौरान अधिक पायी कुछ परिसम्पत्तियों को 1 रुपये प्रत्येक के सांकेतिक मूल्य पर दर्ज किया गया है।

12. अग्रिमों, देनदारों, लेनदारों तथा संक्रमणाधीन / ठेकेदार के पास सामग्री के अंतर्गत दिखाये गये शेष पुष्टि / मिलान तथा परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अध्यधीन है।

13. बैंकों के पास जमा शेष में ₹ 136.78 लाख (विगत वर्ष ₹ 136.78 लाख) शामिल हैं, जिसके संबंध में रॉयल्टी, स्पिलवे वृद्धि एवं विद्युत प्रभारों की वसूली के लिए संबंधित प्राधिकारियों द्वारा ग्रहणाधिकार का प्रयोग किया गया है।

14. चल रही छानबीन के दौरान ₹ 1.85 लाख की क्षतियां / कमियां (विगत वर्ष ₹ 1.92 लाख) कमी के द्योतक हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन लम्बित होने के कारण दावों का समायोजन करना अभी बाकी है।

15. कंपनी को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार से उनके दिनांक 17.12.2008 के पत्र सं. 40 / 2 / 2008–सीएल–III के जरिये भारत सरकार को आबंटित शेयर पूंजी के 27787 इक्विटी शेयर (₹ 1000 प्रति) निरस्त करके शेयर पूंजी में ₹ 277.87 लाख कटौती की पुष्टि की सूचना मिली है। इसके लिए जरूरी प्रविष्टियां वर्ष 2008–09 में कर दी गयी हैं। ये कटौती पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन आफ इंडिया को ट्रांसमिशन लाइनों और संबद्ध सब–स्टेशनों के हस्तांतरण के एवज में मिली आंशिक क्रय राशि का द्योतक है। इस प्रकार इस मामले में कुल ₹ 1118.87 लाख की शेयर पूंजी की कमी, हुई जिसमें पहले 1998–99 में ₹ 841.00 लाख की गई कमी शामिल है।

16. (i) कंपनी द्वारा अधिग्रहीत भूमि पर बने 35 फ्लैट (विगत वर्ष 75 फ्लैट) विभिन्न व्यक्तियों अनधिकृत कब्जे में कार्यवाही की संभावना का पता लगाया जा रहा है।

(ii) 26 ई.सी. रोड, देहरादून में ₹ 20.10 लाख कीमत से टीएचडीसी परिसर में बने आवागमन कैम्प का इस्तेमाल टीएचडीसी तथा उत्तराखंड सरकार के उन विभिन्न विभागों द्वारा किया जा रहा है जो टिहरी बांध परियोजना के पुनर्वास कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं। हालांकि पुनर्वास गतिविधियां पूरी होने के बाद ये परिसम्पत्तियां कंपनी के कब्जे में बनी रहेंगी।

(iii) फ्रीहोल्ड भूमि में 0.458 हेक्टेयर भूमि शामिल हैं जो सौतियाल गांव में है और जिस पर अनधिकृत लोगों ने कब्जा कर रखा है।

17. संगम के अनुच्छेदों के अनुसार 1000 मेगावाट की टिहरी एचपीपी परियोजना के सिंचाई घटक के, जो कुल लागत के 20% के बराबर है, की लागत उपभोक्ता अंशदान के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जानी है। 31.03.2010 तक परियोजना पर उपगत कुल लागत ₹ 839245.05 लाख (विगत वर्ष ₹ 839245.05 लाख) परिकलित की गई थी जिसमें फार्मूले के अनुसार सिंचाई क्षेत्र की लागत ₹ 144133.80 लाख (विगत वर्ष ₹ 144133.80 लाख) बनती है। 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने ₹ 144118.38 लाख (विगत वर्ष ₹ 139584.38 लाख) दे दिए हैं।

18. संगम अनुच्छेदों के खंड संख्या 61 (बी) के अनुसार सिंचाई क्षेत्र के अनुरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भुगतान किए जाने वाले अनुरक्षण खर्च कंपनी और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारस्परिक रूप से तय किये जाने हैं। पारस्परिक सहमति होने तक इसे उत्तर प्रदेश सरकार से प्रतिदेय नहीं दर्शाया गया है।

19. वर्ष 2007–08 के दौरान टिहरी एचपीपी ने उत्पादन स्टेशन का वाणिज्यिक प्रचालन शुरू कर दिया गया है। प्रबंधन का मत है कि टिहरी एचपीपी–I का प्रतिनिधित्व करने वाले नकद उत्पादन इकाई (सीजीयू) के संबंध में लेखाकरण मानक (एएस) 28 की दृष्टि से वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों के मूल्य में कोई कमी नहीं हुई है।

20. (i) विद्युत उत्पादन इस कंपनी की व्यापारिक गतिविधि है। इसीलिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी खंड रिपोर्टिंग पर लेखांकन मानक–17 के अनुसार कोई अन्य रिपोर्ट करने लायक खंड नहीं हैं।

(ii) कंपनी के विद्युत गृह देश के भीतर ही स्थित हैं। अतः इसके लिए भौगोलिक खंड लागू नहीं है।

21. संबद्ध पक्षकार द्वारा प्रकटीकरण :

लेखाकरण मानक –18 से संबद्ध "पक्षकार द्वारा प्रकटीकरण" में की गई अपेक्षा के अनुसार संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन–देन का ब्यौरा इस प्रकार है:–

क) सम्बद्ध पक्षकार – प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

पूर्णकालिक निदेशक

1	श्री आर एस टी शाई	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2	श्री ए. एस. बिष्ट	निदेशक (कार्मिक)
3	श्री एस. के. शुक्ला	निदेशक (तकनीकी)*
4	श्री सी. पी. सिंह	निदेशक (वित्त)

* 31 दिसम्बर, 2009 को अधिवर्षिता

ख) संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन–देन के सारांश (अनुबंधित जिम्मेदारियों को छोड़ कर) – शून्य

ग) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक नोट 42 पर दर्शाया गया है।

घ) टीएचडीसीआईएल, एनपीसीआईएल संयुक्त उद्यम गठित किए जाएगें जैसा कि नोट 28 (i) में कहा गया है।

22. प्रति शेयर आय (ईपीएस) – मूल और परिवर्तित

प्रति शेयर आय की गणना के लिए विचार किए जाने वाले तत्व (मूल और परिवर्तित) इस प्रकार है

	2009–10	2008–09
करोपरात निवल लाभ जिसका प्रयोग न्यूमरेटर के रूप में हुआ है (लाख रुपये)	47995.12	32520.62
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जिनका प्रयोग डिनोमीनेटर के रूप में हुआ है	32975817	32855009
प्रतिशेयर आय रुपये मूल	145.55	98.98
परिवर्तित	145.55	98.98
प्रति शेयर अंकित मूल्य	1000	1000

23. इस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी "आय पर करों का लेखाकन" के लेखाकन मानक 22 के अनुपालन में ₹ 7502.67 लाख (विगत वर्ष ₹ 6740.98 लाख) जो कि आस्थगित देयता में कमी दर्शाता है, को लाभ एवं हानि खाते से प्रभारित किया गया है। 31 मार्च, 2009 तक की आस्थगित कर परिसंपत्तियां लाभग्राहियों को वापस की जाएंगी, उसके पश्चात यह सीईआरसी विनियम 2009–2014 के सीईआरसी विनियम के अनुसार वापस की जा सकती है। संचयी आस्थगित कर देयताओं / परिसंपत्तियों का ब्यौरा निम्नवत है:

(₹ लाख में)

क्र.सं.		31.03.2010	31.03.2009
(i)	**आस्थगित कर देयताएं (ए)**		
	बही मूल्यह्रास तथा कर मूल्यह्रास का अंतर	0	4109.32
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (बी)		
(ii)	बही मूल्यह्रास तथा कर मूल्यह्रास का अंतर	1410.32	0
(iii)	मूल्यह्रास के बाबत अग्रिम को कर गणना में आय के रूप में माना जाए	9625.04	8294.35
(iv)	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	81.14	5.99
(v)	कर्मचारी हित योजनाओं के लिए प्रावधान	2699.13	2121.94
	शुद्ध आस्थगित कर देयता (परिसम्पत्तियां) (ए–बी)	**(13815.63)**	**(6312.96)**

24. भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप कंपनी के लिए आवश्यक है कि वह वर्ष 2008–09 के दौरान 2007–08 के कर पूर्व लाभ 1% लाभ की दर से कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधि के लिए तथा वर्ष 2009–10 के दौरान 2008–2009 के कर पूर्व लाभ के लिए 2% व्यय उदग्रहित कर ले। खर्च न हुए राशि के लिए व्यपगम न करने योग्य सीएसआर अधिक के रूप में प्रावधान किया गया है।

25. प्रबंधन की राय में अचल परिसम्पत्तियों, निर्माण संबंधी भंडारों, वसूले गये ऋणों और अग्रिमों के मूल्य तुलन–पत्र में दर्शाये गये मूल्य से कम नहीं होंगे।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

26. (क) कंपनी के पास उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर ऐसे आपूर्तिकर्ता / सेवा प्रदाता नहीं हैं जिन्हें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत 31 मार्च, 2010 तक सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यमों के रूप में पंजीकृत किया गया है।

(ख) 31 मार्च, 2010 के लघु / सहायक उद्योगों से की गई खरीददारी / सेवाओं के संबंध में 30 से अधिक दिन से अधिक कोई देयता नहीं है।

27. इस्तेमाल में लाए गए अतिरिक्त पुर्जों और घटकों का मूल्य

	%	चालू वर्ष (रुपये लाख में)	%	विगत वर्ष (रुपये लाख में)
आयातित	0	शून्य	0	शून्य
स्वदेशी	100	33.81	100	56.91

28. (i) महाराष्ट्र सरकार ने अपने दिनांक 21.04.2008 के पत्र सं. एमआईएस – 1207 / (126 / 2007) / एचपी के जरिये टीएचडीसी और एनपीसीआईएल के अभी निगमित किये जाने वाले संयुक्त उद्यम को दो परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण का काम सौंपा है। इन परियोजनाओं के नाम हैं – पुणे जिले में कालू नदी पर मालशेज घाट (600 मेगावाट) और सतारा जिले में कोयना परियोजना की अपस्ट्रीम पर बनायी जाने वाली हुम्बर्ली (400 मेगावाट)। इसके लिए टीएचडीसी और एनपीसीआईएल के बीच अगस्त, 2008 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं और सर्वेक्षण तथा अन्वेषण का काम शुरू कर दिया गया है और 31 मार्च, 2010 तक टीएचडीसी ने इस पर ₹ 253.52 लाख (पिछले वर्ष ₹ 28.79 लाख) खर्च किये गए हैं। इसे संयुक्त उद्यम से वसूली योग्य दर्शाया गया है।

(ii) इसके अलावा भारत सरकार ने दिनांक 22.07.2008 के अपने डी.ओ. न. 11 / 01 / 2008–बीबीएमबी के जरिये वागचु, भूटान के डीपीआर को संकोश परियोजना (4060 मेगावाट), संकोश और बुनाखा एचईपी (180 मेगावाट) अद्यतन करने का काम टीएचडीसी को सौंपा है। तदनुसार डीपीआर को अद्यतन करने का काम शुरू कर दिया गया है।

इन परियोजनाओं के डीपीआर के स्तरोन्नयन के लिए क्रमशः 23.3.10 और 24.6.10 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और भूटान की शाही सरकार के बीच करार किए गए। इन करारों के अनुसार क्रमशः संकोश एचई परियोजना और बुनाखा एचई परियोजनाओं के स्तरोन्नयन ₹ 1682.075 लाख और ₹ 1378.75 लाख की राशि भूटान की शाही सरकार द्वारा टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को दिया जाना है।

कंपनी संकोश और बुनाखा परियोजनाओं पर 31.3.10 तक ₹ 602.15 लाख (विगत वर्ष ₹ 294.25 लाख) खर्च किए और इसे अवसूलनीय दर्शाया गया।

29. भारत सरकार के निर्देशानुसार कंपनी वरूणावत पर्वत के स्थिरीकरण के काम में एक सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में उत्तराखंड सरकार की मदद कर रहा है व्यय हुए खर्च की प्रतिपूर्ति उत्तराखंड सरकार द्वारा की जानी है। इस सिलसिले में ₹ 677.37 लाख (पिछले वर्ष ₹ 566.36 लाख) के विरूद्ध ₹ 239.77 लाख कपनी को पहले ही वापस किये जा चुके हैं।

30. भारत सरकार द्वारा दिसम्बर, 1998 में किये गये निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड सरकारों को योजना की पुनर्वास गतिविधियों का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इनका संचालन कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गयी निधियों में से सीधे उन्हीं के द्वारा किया जाना है। उत्तराखड सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये समेकित व्यय विवरण के अनुसार उदग्रहित व्यय कपनी के लेखा बहियों मे दर्ज किया गया है जो उत्तराखड सरकार से संबंधित प्रभागों द्वारा महालेखाकार, उत्तराखंड को दिये गये मासिक विवरण के आधार पर समेकित किया जाता है। पुनर्वास काम में लगे उत्तराखंड सरकार के कार्मिकों के स्थापना खर्च प्राप्त लेखा विवरण में दर्शायी गयी सीमा तक दर्ज किये गये हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा की गयी सीधी प्रतिपूर्ति का हिसाब–किताब उनके लिए दावे मिलने पर किया जायेगा।

31. निर्धारित हानियों का लेखाकरण अंतिम बिलों / सुपुर्दगी अनुसूची के निस्तारण पर किया जाता है।

32. टिहरी बांध के गृह विस्थापितों के पुनर्स्थापन के लिए केदारपुरम् में निर्मित भवनों और भूमि की कीमत अवर्गीकृत भूमि में शामिल की गई है। गृह विस्थापितों को आबंटित न की गई कुछ गौण भूमि और भवन का इस्तेमाल कंपनी कर रही है। इसका स्वामित्व अभी कंपनी को अंतरित नहीं किया गया है। लागत के ब्यौरों को पुनर्वास रिकार्ड से संबद्ध करना लंबित होने के कारण इसे भूमि और भवन को अंतरित नहीं किया गया है।

33. (i) पावरहाउस एवं स्पिलवेज संविदा प्रावधानों के अनुसार मात्रा विभिन्नता के लिए छूट हेतु मैसर्स केसीटी एंड ब्रदर्स सी.एस. लिमिटेड (केसीटी) से वसूली हेतु नैनीताल हाईकोर्ट में कंपनी द्वारा प्रतिवाद किया गया है। अदालत के आदेशों के अनुसार ये मामले माध्यस्थम को सौंप दिये गये हैं। यह मामला अभी आरबिट्रल ट्रिब्यूनल के पास लम्बित है। इन ठेकों के अंतर्गत सृजित परिसम्पत्तियों का मूल्य मुकदमे के फैसले पर निर्भर करेगा।

(ii) ठेकेदारों को दिये गये अग्रिम में ₹ 13182.43 लाख (मूलधन ₹ 10983.72 लाख और 16% की दर से ब्याज ₹ 2198.71 लाख) (गत वर्ष ₹ 7621.00 लाख, मूलधन 6674.35 लाख रुपये और 16% की दर से ब्याज ₹ 946.65 लाख) शामिल हैं जो केएचईपी ठेकेदार (मैसर्स पीसीएल) के खर्च और जोखिम पर शक्ति प्रदत्त समिति द्वारा निष्पादित किये गये हैं। 31 मार्च, 2010 तक टीएचडीसी के पास उपलब्ध प्रतिभूति (निष्पादन गारंटी / नगद के रूप में केवल ₹ 5626.71 लाख) (गत वर्ष ₹ 4095.987 लाख) उपलब्ध है।

34. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने मार्च 2004 में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (निबंधन और शर्तें) विनियम, 2004 अधिसूचित किया था। ये विनियम 01.4.2004 को लागू हुए और 5 वर्षों तक लागू रहे। कंपनी ने सीईआरसी की विनियमावली, 2004 के निर्धारित सिद्धांतों के अनुसरण में अनंतिम टैरिफ निर्धारण के लिए कंपनी ने सीईआरसी के समक्ष याचिका दायर की। सीईआरसी ने 28 दिसम्बर, 2006 को अनन्तिम टैरिफ आदेश जारी करते हुए कहा कि अनुमोदित टैरिफ एक अनंतिम उपाय है तथा याचिका में दावा किए गए वार्षिक नियत प्रभारों का अस्वीकरण करने वाला है। तद्नुसार 31.3.2007 तक की अवधि के लिए गौण ऊर्जा एवं क्षमता सूचकांक की कोई गणना नहीं होगी। इस प्रतिकूल आदेश के खिलाफ कंपनी ने विद्युत के लिए माननीय अपीलीय प्राधिकरण में अपील दायर की जिसने अपने दिनांक 02.07.2007 के आदेश में कहा है कि आयोग अंतिम टैरिफ निर्धारित करते समय सम्मिलित पक्षकारों के सभी सुसंगत तथ्यों पर विचार करेगा।

वर्ष 2007–2008 के दौरान अंतिम यूनिट अर्थात टिहरी चरण–I उत्पादन केन्द्र की पहली यूनिट को 08.07.2007 को वाणिज्यिक प्रचालन के लिए चालू घोषित किया तथा याचिका को 07.07.2007 तक लेखा परीक्षित एवं प्रमाणित खर्चों के आधार पर अद्यतन किया गया। बाद में सीईआरसी ने 14.03.08 के अपने आदेश द्वारा सूचित किया कि उत्पादन केन्द्र की अंतिम यूनिट यानि टिहरी चरण–I की यूनिट–I के वाणिज्यिक प्रचालन कि तिथि 09.07.2007 के 00.00 बजे से गिनी जाएगी। तद्नुसार कंपनी 08.07.2007 तक के लिए आईडी सी तथा एसोसिएटेड लागतों की हकदार होगी।

संशोधित लागत अनुमानों को सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने तक निर्धारित तिथि अर्थात 31.3.2009 तक के व्यय को, अंतिम इकाई अर्थात 09.07.2007 तक के वाणिज्यिक उत्पाद की तारीख को ध्यान में रखते हुए लेखा परीक्षित और प्रमाणित एएफसी को वर्ष 2009–2010 वित्त वर्ष में शामिल कर लिया गया है। सीईआरसी द्वारा विनियम, 2009 में निर्धारित सिद्धांतों का अनुसरण करते वर्ष 2009–2010 के लिए एएफसी की गणना कर ली गई है तथा उसे सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित करा लिया गया है। तद्नुसार कंपनी ने ₹ 143291.92 लाख की बिक्री का बिल दिया है जिसमें गौण ऊर्जा प्रभारों का ₹ 2250.99 (पूर्ववर्ती वर्ष का ₹ 111349.39 लाख जिसमें ₹ 523.93 लाख गौण ऊर्जा प्रभार भी) शामिल है। वर्ष के दौरान ₹ 5221.42 लाख बिक्री के रूप में है और ऊर्जा प्रभार तथा गौण ऊर्जा प्रभार के ₹ 2250.99 लाख शामिल है जो निर्धारित तारीख तक व्यय और डिज़ाइन ऊर्जा में संशोधन के आधार पर एएफसी में संशोधन के परिणामस्वरूप विगत वर्ष के हैं। ₹ 3914.97 लाख मूल्यह्रास के लिए अग्रिम (एएडी)की पूर्ववर्ती वर्षों के संबंध में है। सीईआरसी द्वारा प्रशुल्क का निर्धारण होने तक वर्ष के लिए राजस्व अनंतिम रूप से तय किया गया है। सीईआरसी के अनुसार परिगणित एएफसी और प्रशुल्क को अंतिम रूप दिए जाने तक सीईआरसी द्वारा अनुमत्य अनंतिम दर के बीच बिलों में अंतर आने के कारण कर्जदारों पर ₹ 56825.35 लाख है।

35. वर्ष के दौरान कंपनी ने सीईआरसी (निवर्तमान विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के तहत गठित तथा विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत मान्यताप्राप्त निकाय) द्वारा टैरिफ वसूली के लिए अधिसूचित दरों पर वर्ष के दौरान मूल्यह्रास का प्रावधान किया है, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अर्न्तगत विनिर्दिष्ट दरों से अलग है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने टैरिफ नीति अधिसूचित की है, जिसमें सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास दरों को टैरिफ के साथ–साथ लेखाकरण के लिए लागू करने का भी प्रावधान किया गया है। सीईआरसी द्वारा टैरिफ नीति के अनुसार मानदण्डों के तय होने तक वर्तमान टैरिफ नीति, मानदंडों 2009–14 के तहत अधिसूचित दरों को वर्ष 2009.2014 के लिए मूल्यह्रास निकालने के लिए ठीक समझा गया है।

36. सीईआरसी विनियम 2004–2009 के तहत प्रशुल्क के घटक के रूप में अनुमत्य मूल्यह्रास के लिए अग्रिम बिक्री से घटाकर आस्थगित राजस्व मान लिया गया था जिसका समायोजन बाद के वर्षों में बिक्री में किया जाना था। सीईआरसी विनियम 2009–2014 के अनुसार इसे 01.04.2009 से समाप्त कर दिया गया है।

37. कम्पनी ने कर्मचारियों / कार्यालयों / अतिथिगृहों / आवागमन कैम्पों तथा वाहनों के लिए परिसर पट्टे / किराये पर लिए हैं। ये पट्टा व्यवस्थाएं प्रायः आपसी सहमति से तय शर्तों पर नवीकृत की जा सकती हैं लेकिन इन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता। किराया दर तथा करों में पट्टा भुगतान के लिए 402.72 लाख रुपये (गत वर्ष 335.26 लाख रुपये) शामिल है। (निवल वसूली)

38. कम्पनी निम्नलिखित के अनुसार भी प्रावधान किए हैं :–

₹ लाख में

क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	अभिवृद्धि	प्रयुक्त / समायोजन	अंतिम शेष
1.	निर्माण	3990.32	3264.84	3552.25	3702.91
2.	कर्मचारियों से संबंधित	16683.74	4358.11	1105.01	19936.84
3.	प्रस्तावित लाभांश	2800.00	8500.00	2800.00	8500.00
4.	अंतरिम लाभांश पर कर	0.00	1019.70	1019.70	0.00
5.	प्रस्तावित लाभांश पर कर	475.86	1444.58	475.86	1444.58
6.	अन्य	417.46	3689.19	892.28	3214.37
	योग	**24367.38**	**22276.42**	**9845.1**	**36798.70**

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि निर्माण, कर्मचारियों, प्रस्तावित लाभांश, अंतरिम लाभांश पर कर, प्रस्तावित लाभांश पर कर तथा कर एवं अन्य का प्रावधान किया है। निर्माण कार्य में मुख्यतः 31.03.2010 की गैर–मापित निर्माण कार्य शामिल हैं। कर्मचारियों के लिए प्रावधान में लेखाकरण नीति सं. II (i) के तहत छुट्टी नगदीकरण, उपदान, सेवा निवृत्ति के उपरान्त चिकित्सा लाभ, अंतिम संस्कार, बैगज भत्ता तथा वेतन बकाया, आदि शामिल हैं। अन्य में आयकर, संपत्ति कर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व आदि शामिल हैं।

39. (i) कम्पनी पूर्व निर्धारित दरों से भविष्य निधि का निश्चित अंशदान एक अलग ट्रस्ट को अदा करती है जो इस राशि को अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में निवेश करता है। अवधि के लिए निधि के अंशदान को खर्च माना जाता है तथा लाभ एवं हानि खातों से प्रभारित किया जाता है। यह ट्रस्ट सदस्यों के अंशदान पर श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम ब्याज दर भुगतान करता है। हालांकि, कम्पनी की प्रतिबद्धता ऐसे नियत अंशदान एवं ट्रस्ट द्वारा ब्याज प्रतिबद्धता, होने वाली कमी को पूरी करने तक सीमित हैं। तद्नुसार वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार 31.01.2010 को एएस–15 (संशोधित) के अनुसार भविष्य निधि के लिए संवैधानिक ब्याज दर गारंटी के कारण देनदारी ₹ 320.00 लाख (विगत वर्ष ₹ 211.22 लाख) होती है जब कि तुलन–पत्र के तारीख को राजस्व अधिशेष ₹ 219.97 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 254.79 लाख) उपलब्ध थी। इसीलिए 100.03 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष शून्य) के अंतर के देयता खातों दी गई है।

(ii) ''कर्मचारियों को लाभ'' के संबंध में एएस–15 के प्रावधानों के तहत प्रकटीकरण करना। 31.03.2010 को किए गए वास्तविक मूल्यांकन का प्रयोग कर चालू अवधि के लिए का प्रावधान किया गया है। तद्नुसार ''कर्मचारियों का लाभ'' के संबंध में लेखांकन मान 15 के प्रावधानों के तहत 31.3.2010 को समाप्त वित वर्ष के लिए प्रकटीकरण किया गया है।

सारणी – 1 निम्नलिखित पर एक्यूरियल मूल्यांकन के लिए प्रमुख एक्यूरिल अनुमान

₹ लाख में

विवरण	31.03.2010	31.03.2009
मृत्यु सारणी	एलआईसी (1994–96) विधिवत संशोधित	एलआईसी (1994–96) विधिवत संशोधित
छूट की दर	7.5%	7%
भावी वेतन वृद्धि	5%	4.5%

सारणी – 2 दायित्वों के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

₹ लाख मे

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अस्वस्थता अवकाश	एलटीसी	बैगेज भत्ता / सेवानिवृत्ति एवार्ड
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	5592.76	3042.82	1349.40	2468.60	433.86	541.81
ब्याज लागत	419.46	228.21	101.21	185.14	32.54	40.64
गत सेवा लागत	....	.....	–	–	–	–
वर्तमान सेवा लागत	451.40	184.31	59.45	185.24	227.79	52.43
भुगतान किया गया लाभ	(198.85)	(946.84)	(15.82)	(57.15)	(304.75)	(50.97)
एक्यूरियल (लाभ / हानि)	794.81	221.14	19.75	198.43	60.60	(88.06)
वर्ष के अंत में पी वी ओ	6985.46	2729.64	1513.99	2980.27	450.04	495.85

सारणी–3 तुलन–पत्र में चिन्हित राशि

₹ लाख में

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अस्वस्थता अवकाश	एलटीसी	बैगेज भत्ता/ सेवानिवृत्ति एवार्ड
वर्ष के अंत में पीबीओ	6985.46	2729.64	1513.99	2980.27	450.04	495.85
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	...	...	..	...	..	..
निधियों की स्थिति	(6985.46)	(2729.64)	(1513.99)	(2980.27)	(450.04)	(495.85)
चिन्हित न हुए एक्यूरियल लाभ/हानि	...	...	..	...	..	..
तुलन–पत्र में चिन्हित शुद्ध देयता	6985.46	2729.64	1513.99	2980.27	450.04	495.85

सारणी– 4 लाभ और हानि खाते/ईडीसी में चिन्हित राशि

₹ लाख में

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अस्वस्थता अवकाश	एलटीसी	बैगेज भत्ता/ सेवानिवृत्ति एवार्ड
चालू सेवा लागत	451.4	184.31	59.45	185.24	227.79	52.43
ब्याज लागत	419.46	228.21	101.21	185.14	32.54	40.64
गत सेवा लागत	...	...	..	...	..	..
योजनागत परिसंपत्तियों पर अनुमानित प्रतिफल	...	...	..	...	..	..
वर्ष के लिए चिन्हित निवल एक्चूरियल (लाभ)/हानि	794.81	221.14	19.75	198.43	60.60	(88.06)
वर्ष के लिए लाभ और हानि ईडीसी में चिन्हित व्यय	1591.55	633.66	180.40	568.82	320.93	5.01

40. केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441ए के तहत देय उपकर की दर अधिसूचित नहीं की है इसलिए कंपनी ने कारोबार पर किसी प्रकार के उपकर का प्रावधान नहीं किया है।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

41. लेखांकन नीति में परिवर्तन

क्र.सं.	नीति	प्रभाव
1.	अवर्गीकृत भूमि से जुड़ी लेखांकन नीति सं. 5 (i) में संशोधन "वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 35 वर्ष के लिए जाने वाली परियोजना की उपयोगी अवधि के संबंध में और परिशोधन किया जाना" शब्द सीईआरसी विनियम 2009– 2014 में प्रावधान किए पृथक मूल्यह्रास दर को देखते हुए हटा दिये गये हैं।	मूल्यह्रास में ₹ 581.17 लाख की बढ़ोतरी तथा निवल ब्लाक में समनुरूपी ₹ 581.17 लाख की कमी
2.	₹ 5000 तक की परिसंपत्ति की लागत लगाने से जुड़ी लेखांकन नीति 8 (iii) में संशोधन। परंतु 15,00.00 से अधिक नहीं शब्द (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) जोड दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त ₹ 1500.00 तक की लागत वाले कम मूल्य के मदों जो परिसंपत्तियों के स्वरूप में है तथा पूंजीगत रूप नहीं प्राप्त है तथा जिन पर राजस्व नहीं उद्ग्रहित किया गया है, के लिए नई लेखांकन नीति संख्या 8 (ii) शुरू की गई है।	अचल परिसंपत्तियों के सकल ब्लाक में ₹ 6.17 लाख की कमी तथा संचित मूल्यह्रास में ₹ 6.17 लाख की समनुरूपी कमी। इसलिए निवल ब्लाक में कोई परिवर्तन नहीं। अन्य व्यय ₹ 6.17 लाख की वृद्धि मूल्यह्रास में ₹ 6.17 लाख की समनुरूपी कमी इसलिए व्यय में कोई परिवर्तन नहीं।
3.	जिन परिसंपत्तियों पर कंपनी का स्वामित्व नहीं है उसके पूंजी व्यय से संबंधित लेखांकन नीति से 8 (vi) में संशोधन	कोई प्रभाव नहीं क्योंकि यह परिवर्तन विस्तार और स्पष्टता लाने के लिए किया गया है।
4.	आय पुनर्गठन से संबंधित लेखांकन नीति सं. 10(i) में संशोधन किया गया है। सीईआरसी विनियम 2009–2014 के अनुसार "आयकर के लिए वसूली" शब्द हटा दिए गए हैं।	कोई प्रभाव नहीं क्योंकि आय कर वसूली को इक्विटी संबंधी विवरणी (रिटर्न) में शामिल कर लिया गया है जो कि प्रशुल्क का घटक है।
5.	सीईआरसी विनियन 2009–2014 के अनुसार मूल्यह्रास के लिए अग्रिम से जुड़ी लेखांकन नीति संख्या 10 (iii) हटा दी गई है।	लाभ पर कोई प्रभाव नहीं क्योंकि एएडी बिक्री से घटा ली गई थी और पूर्ववर्ती वर्षों में आस्थगित आय के रूप में दर्शाई गई थी।
6.	बीमा दावे के लेखांकन से संबधित लेखांकन नीति संख्या 10 (vi) संशोधित कर दी गई है।	बीमा दावे में प्राप्त ₹ 66.12 लाख की कमी और बीमा दावे उचंती खाते में समनुरूपी कमी
7.	नई लेखांकन नीति संख्या 9 (xi) कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति शुरू की गई है।	₹ 752.78 लाख के प्रावधान की वृद्धि अभी ₹ 752.78 लाख व्यय में वृद्धि
8.	सीईआरसी विनियन 2009–2014 के अनुरूप आय संबंधी करों से जुड़ी लेखांकन नीति संख्या 13 में संशोधन कर दिया गया है।	कोई प्रभाव नहीं क्योंकि आय कर वसूली को इक्विटी संबंधी विवरणी (रिटर्न) में शामिल कर लिया गया है जो कि प्रशुल्क का घटक है।

42. निदेशकों को भुगतान किया गया/भुगतान किया जाने वाला पारिश्रमिक

₹ लाख में

		2009–10	2008–2009
(i)	वेतन और भत्ते	46.38	65.78
(ii)	भविष्य निधि में अंशदान	5.32	7.55
(iii)	अन्य लाभ	28.74	47.43
(iv)	निदेशकों की फीस	3.60	2.30
(v)	निदेशकों का यात्रा भत्ता	7.21	23.72

उपर्युक्त पारिश्रमिक के अतिरिक्त, पूर्णकालिक निदेशकों को ₹ 780 / – प्रतिमाह का भुगतान निजी यात्रा के लिए स्टाफ कार की अनुमति दी गई है। जैसाकि उद्योग मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिनांक 26 मार्च, 1999 के परिपत्र संख्या 2(53) / 90–डीपीई(डब्ल्यूसी)–जीआईबी के प्रावधानों के अनुसार लागू है।

43. लेखा परीक्षकों को भुगतान

₹ लाख में

	2009–10	2008–2009
लेखा परीक्षा शुल्क (सेवाकर सहित)	3.03*	3.03
अन्य क्षमता में	8.16	2.08
आउट आफ पाकेट एक्सपेंस	4.48	2.72

*वार्षिक आम सभा में अनुमोदन के अधीन

44. विदेशी मुद्रा (नकद आधार पर) में प्राप्त व्यय

विवरण	2009–10	2008–09
यात्रा	36.3	38.11
परामर्श और व्यावसायिक प्रभार	230.8	1291.24
प्रबंधन / वचनबद्धता शुल्क	0	0.15
ऋण एवं ब्याज की अदायगी	2660.36	3180.85
माल का आयात	66.77	179.33
अन्य (संचालन प्रभार)	6.68	47.33
कुल	**3000.91**	**4737.01**

45. (i) सीआईएफ आधार पर परिगणित आयात का मूल्य

₹ लाख में

	2009–10	2008–2009
पूंजी माल	180.37	207.31
(ii) वर्ष के दौरान निर्यात का मूल्य	शून्य	शून्य

46. लाइसेंस शुदा तथा संस्थापित क्षमताएं :

क्र.सं.	विवरण	2009–10	2008–09
(i)	लाइसेंसशुदा क्षमता (मे.वा.)	लागू नही**	लागू नही**
(ii)	संस्थापित क्षमता (मे.वा.)	1000 मे.वा	1000 मे.वा
(iii)	अनुमोदित क्षमता (मे.वा) –(सीसीईए द्वारा निवेश अनुमोदन पर आधारित)	2400 मे.वा	2400 मे.वा
(iv)	बिजली के उत्पादन एवं बिक्री के संबंध में मात्रात्मक (मिलियन यूनिटों में) सूचना		
	(क) पूर्व–वाणिज्यिक अवधि		
	उत्पादन	शून्य	शून्य
	बिक्री	शून्य	शून्य
	(ख) वाणिज्यिक अवधि		
	उत्पादन	2116.791811 एम.यू.	3164.234384 एम.यू.
	बिक्री (गृह राज्य को निःशुल्क विद्युत देने और अनुषंगी खपत के बाद निवल)	1840.412391 एम.यू.	2751.111857 एम.यू.

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

** विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 7 के अनुसार कोई भी उत्पादक कंपनी, इस अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त किए बिना उत्पादन स्टेशन स्थापित कर सकती है। इसलिए लाइसेंस शुदा क्षमता लागू नहीं है।

47. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए यथावश्यक पुनः समूहबद्ध / पुनः वर्गीकृत किया गया है।

48. अनुसूची '1' से '25' लेखों के अभिन्न अंग हैं।

(एस. क्यू. अहमद)
कंपनी सचिव

(सी. पी. सिंह)
निदेशक (वित्त)

(आर. एस. टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **एवडीएसजी एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार

(हरबीर सिंह गुलाटी)
भागीदार
सदस्यता संख्या – 84072

दिनांक : 13.08.2010
स्थान : नई दिल्ली

वार्षिक रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग IV के तहत आवश्यक अतिरिक्त सूचनाएं

राशि ₹ हजार में

तुलन पत्र सार और कंपनी का सामान्य व्यापार प्रोफाइल	
i) पंजीकरण का ब्यौरा	
पंजीकरण संख्या	00009822
राज्य का कोड	00000020
तुलन पत्र की तारीख	31 मार्च, 2010
ii) वर्ष के दौरान उगाही गई पूंजी	राशि ₹ हजार में
पब्लिक इश्यू	शून्य
राइट इश्यू	शून्य
प्राइवेट प्लेसमेंट	
(i) भारत सरकार को जारी शेयर (संख्या) (निवल)	शून्य
(ii) उत्तर प्रदेश सरकार को जारी शेयर (संख्या)	शून्य
शेयर पूंजी अंशदान लंबित आबंटन	
भारत सरकार	शून्य
उत्तर प्रदेश सरकार	शून्य
बोनस मुद्दा	शून्य
iii) निधियां एकत्र करने और लगाने की स्थिति	
कुल देयताएं	10,85,76,463
कुल परिसंपत्तियां	10,85,76,463
निधियों के स्रोत	
प्रदत्त पूंजी	3,29,75,817
पूंजी लंबित आबंटन	शून्य
आरक्षित और अधिशेष जिसमें जीओयूपी का अंशदान शामिल है	2,15,29,823
प्रतिभूति ऋण	4,52,60,173
अप्रतिभूमि ऋण	8,17,326
मूल्यह्रास के विरूद्ध अग्रिम के कारण आस्थगित राजस्व	28,33,089
निधियों का उपयोग	
निवल स्थिर परिसंपत्तियां	7,54,56,935
निर्माण स्टोरों और अग्रिमों सहित पूंजी कार्य प्रगति पर	2,30,71,727
निवेश	—
आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)	7,50,267,
निवल चालू परिसंपत्तियां	41,33,699
विविध व्यय	3,600

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

राशि ₹ हजार में

iv) कंपनी निष्पादन	
कारोबार (अन्य आय सहित)	1,42,39,066
कुल व्यय	93,32,457
कर पूर्व लाभ / हानि	49,06,609
करोपरांत लाभ / हानि	47,99,512
प्रति शेयर आय (रू.)	145.55
लाभांश दर (%)	4.39
v) प्रमुख उत्पाद / कंपनी सेवा का सामान्य नाम	
मद कोड संख्या	लागू नहीं
उत्पाद विवरण	विद्युत का उत्पादन

(एस. क्यू. अहमद) कंपनी सचिव	(सी. पी. सिंह) निदेशक (वित्त)	(आर. एस. टी. शाई) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 13.08.2010
स्थान : नई दिल्ली

वर्ष 2009-2010 के लिए नगदी प्रवाह का विवरण

राशि हजार रूपए में
(कोष्ठक में दिये गये आकड़े कमी के द्योतक हैं)

विवरण	31/03/2010 को समाप्त वर्ष		31/03/2009 को समाप्त वर्ष	
	₹	₹	₹	₹
क. परिवालन गतिविधियों से नगदी प्रवाह				
कर पूर्व निवल लाभ तथा पूर्वानिधि समायोजन		49,19,002		36,97,890
निम्नलिखित के लिए समायोजन :–				
मूल्यह्रास	34,58,440		16,50,592	
प्रावधान	22,107		674	
मूल्यह्रास बाबत अग्रिम–आस्थगित	3,91,497		12,00,526	
ऋणों पर ब्याज	40,69,210		36,83,281	
ग्राहकों को छूट	1,14,701		1,35,680	
पूर्व अवधि समायोजन	(12,393)	80,43,562	(25,359)	66,45,394
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचलित लाभ		1,29,62,564		1,03,43,284
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन हेतु समायोजन				
वस्तु सूची	(18,441)		(36,709)	
विविध देनदार	(38,32500)		9,08,596	
अन्य चालू परिसंपत्तियां	2,990		4,287	
ऋण और अग्रिम	(52,337)		5,95,396	
चालू देयताएं	(1,75,324)		(6,95,873)	
प्रावधान	12,43,132	(28,32,480)	11,60,410	19,36,107
परिचालनों से नकद अर्जन		1,01,30,084		1,22,79,391
चुकता प्रत्यक्ष कर		(8,57,364)		(4,20,469)
परिचालनों से निवल रोकड़ (क)		92,72,720		1,18,58,922
ख. निवेश गतिविधियों में परिवर्तन से नगदी प्रवाह:–				
अचल परिसपत्तिया एव सीडब्ल्यूआईपी	(64,94,495)		(71,75,448)	
निर्माण भण्डार	(15,164)		3574	
पूजी अग्रिम	(3,29,848)		(7,54,807)	
विविध व्यय (समायोजित न की जाने वाली सीमा तक)	1,226		1,319	
निवेश गतिविधियों से निवल प्रवाह (ख)		(68,38,281)		(79,25,362)
ग. वित्त–पोषण गतिविधियों से नगदी प्रवाह	–		(27,787)	
अंश पूंजी	4,53,400		8,87,199	
सिंचाई अंशदान	124		20,400	
अन्य आरक्षित पूंजी	26,35,129		(3,12,219)	
ऋण	(40,69,210)		(36,83,281)	
ऋणों पर ब्याज	(1,14,701)		(1,35,680)	
ग्राहकों को छूट	(16,96,428)		(11,46,551)	
लाभांश एव लाभांश पर कर				
वित्त–पोषण गतिविधियों से निवल नगदी प्रवाह (ग)		(27,91,686)		(43,97,919)

वर्ष 2009-2010 के लिए नगदी प्रवाह का विवरण

राशि हजार रूपए में
(कोष्ठक में दिये गये आकड़े कमी के द्योतक हैं)

विवरण	31/03/2010 को समाप्त वर्ष		31/03/2009 को समाप्त वर्ष	
	₹	₹	₹	₹
घ. वर्ष के दौरान निवल नगदी प्रवार (क+ख+ग)		(3,57,247)		(4,64,359)
ङ. प्रारंभिक नगद और नगदी समतुल्य		5,88,117		10,52,476
च. अंतिम नगदी और नगदी के समकक्ष (घ+ङ+)		2,30,870		5,88,117

1. नगदी और नगदी समतुल्य में बैंकों में शेष ₹ 136.78 लाख (पिछले वर्ष ₹ 136.78 लाख) है जो कारपोरेशन द्वारा प्रयोग के लिए उपलब्ध नहीं है।
2. पिछले वर्ष के आकड़े को पुन: एकत्रित/व्यवस्थित/दर्शित किया गया है।

(एस. क्यू. अहमद)
कंपनी सचिव

(सी. पी. सिंह)
निदेशक (वित्त)

(आर. एस. टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी सम दिनाक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **एचडीएसजी एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार

(हरवीर सिंह गुलाटी)
भागीदार
सदस्यता संख्या–84072

दिनांक : 13.08.2010
स्थान : नई दिल्ली

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के सभी सदस्य

1. हमने 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार टीएचडीसी इंडिया लि. के संलग्न तुलन–पत्र तथा उसके साथ ही संलग्न उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि खाते तथा नगदी प्रवाह विवरण की भी लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के बारे में अपनी राय जाहिर करना है।

2. हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। उक्त मानकों में अपेक्षित है कि हम यह युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलत कथनों से मुक्त है, लेखा परीक्षा की आयोजना तथा निष्पादन करें। लेखा परीक्षा में परीक्षण आधार पर राशियों के अनुसमर्थक साक्ष्य तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटनों की जांच करना शामिल है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का मूल्यांकन करने के साथ–साथ समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हम मानते हैं कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय को युक्त संगत आधार प्रदान करती है।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 (4ए) के अनुसरण में केन्द्रीय भारत सरकार द्वारा जारी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) (संशोधन) आदेश, 2004 के साथ पठित कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 द्वारा यथापेक्षित तथा हमारे द्वारा उचित समझी गयी जांचों के अनुसार और हमें दी गयी सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, हम अनुलग्नक में इस कंपनी पर लागू सीमा तक उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण संलग्न कर रहे हैं।

4. हम आपका ध्यान निम्नलिखित की तरफ भी आकर्षित कर रहे हैं:–

(क) अनुसूची 25 की टिप्पणी संख्या 5 – उत्तराखंड सरकार द्वारा अतिरिक्त उगाह के लिए 31 मार्च, 2010 को देय ₹ 5880.00 लाख की बाकी राशि रॉयल्टी के लिए देयों के समायोजन के बाद भी अभी वसूल करनी बाकी है।

(ख) अनुसूची 25 की टिप्पणी संख्या 10 (i) शीर्ष 'अवर्गीकृत भूमि' के तहत खातों में पूंजीकृत ₹ 3467.34 लाख के पुनर्वास व्यय को उत्तराखंड सरकार / सरकारी प्राधिकारियों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर खातों में शामिल किया गया है और इस प्रकार यह सत्यापन के अध्यधीन नहीं है।

(ग) अनुसूची 25 की टिप्पणी संख्या 12 – फुटकर लेनदार, फुटकर देनदार, प्रतिभूति जमा / धरोहर राशि जमा, ऋण एवं अग्रिम सभी पुष्टि एवं समाधान के अध्यधीन हैं।

(घ) अनुसूची 25 की टिप्पणी संख्या 16 (i) यह कॉरपोरेशन द्वारा अधिग्रहीत भूमि पर 35 फ्लैटों (गत वर्ष 75 फ्लैटों) पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत कब्जे से संबंधित है।

(ङ) अनुसूची 25 की टिप्पणी संख्या 34 बिक्री का लेखांकन सीईआरसी द्वारा टैरिफ को अंतिम रूप से तय करने तक अन्तिम आधार पर किया जा रहा है।

5. उपर्युक्त पैराग्राफ 3 में संदर्भित अनुलग्नक में अपनी टिप्पणी के आगे तथा उपर्युक्त पैराग्राफ 4 में दी गई अन्य मदों पर ध्यानाकर्षित करते हुए हम सूचित करते हैं कि–

(क) अपने अधिकतम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमने अपनी परीक्षा के लिए जरूरी सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं।

(ख) हमारी राय में विधि द्वारा यथापेक्षित खातों की उचित बहियां रखी गयी हैं, जैसा कि हमारे द्वारा बहियों की जांच करने से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि खाता तथा नगदी प्रवाह के विवरण खाता बहियों के अनुरूप हैं।

(घ) हमारी राय में तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि खाता एवं नगदी प्रवाह विवरण, जिन्हें इस रिपोर्ट के साथ दिखाया गया है, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप धारा (3सी) में संदर्भित लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।

(ङ) कंपनी कार्य विभाग द्वारा जारी दिनांक 17.7.2003 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 829 (ई) के मद्देनजर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उपधारा (1) का खंड (जी), जो निदेशकों को अयोग्य ठहराने से संबंधित है, का प्रावधान इस सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होता।

6. हमारी राय में एवं सर्वश्रेष्ठ सूचना के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त खाते, जिन्हें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के साथ पढ़ा जाए एवं उन पर टिप्पणियां, जो उनके साथ संलग्न हैं, कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित सूचना निर्धारित तरीके से देते हैं तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार सच्ची एवं उचित तस्वीर प्रकट करते हैं–

(क) तुलन–पत्र के मामले में, दिनांक 31 मार्च, 2010 की कंपनी की कार्य स्थिति की।

(ख) लाभ एवं हानि के खाते के मामले में, इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ की, तथा

(ग) नगदी प्रवाह विवरण के मामले में इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नगदी प्रवाह की।

कृते **एसडीएसजी एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
रजि. नं. 00287IN

(हरबीर सिंह गुलाटी)
भागीदार, एफसीए
सदस्यता संख्या–84072

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13.08.2010

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट का संलग्नक

(इसी दिनांक की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 में संदर्भित अनुलग्नक)

1. इसकी अचल परिसंपत्तियों के संबंध में –

(क) कंपनी ने सामान्य रूप से अचल परिसंपत्तियों की मात्रा, विवरण और स्थिति सहित पूरे विवरण दर्शाते हुए समुचित रिकार्ड रखा है। लेकिन अचल परिसंपत्तियों की पहचान संख्या डालने की प्रक्रिया चल रही है। कुछ मामलों को छोड़कर इन परिसंपत्तियों के संचालन के लिए रिकार्ड ठीक प्रकार से रखे गए हैं।

(ख) वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों की भौतिक जांच सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गयी है। तथा सत्यापन के दौरान जानकारी में आई विसंगतियों को खाता बहियों में उचित प्रकार से दर्शाया गया है हालांकि ये विसंगतियां महत्वपूर्ण नहीं हैं। हमारी राय में आकार को ध्यान में रखते हुए सत्यापन की बारंबारता उचित है।

(ग) वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी अचल परिसंपत्तियों के लिए बड़े हिस्से का निपटान नहीं किया है।

2. इसकी वस्तुसूचियों के संबंध में –

(क) वस्तुसूची की वास्तविक जांच प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर की गई है।

(ख) कंपनी के आकार तथा व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन द्वारा अपनाई गयी वस्तुसूची की जांच की प्रक्रिया उचित तथा पर्याप्त है।

(ग) कंपनी ने वस्तुसूची का उचित रिकार्ड रखा है।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फार्मों या अन्य पार्टियों से कंपनी ने न कोई सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण लिया और न ही दिया है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ–4 का खंड–(iii) लागू नहीं है।

4. हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार वस्तुसूची एवं अचल परिसंपत्तियों की खरीद के मामले में आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां कंपनी के आकार और उसके व्यापार के प्रकृति के अनुरूप काफी है। लेखापरीक्षा के दौरान हमें न तो इस बात का कोई पता चला और न ही ऐसी कोई सूचना मिली कि अंतर्निहित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों में प्रमुख कमजोरियों को ठीक करने में कंपनी लगातार असफल रही हो।

5. हमारे द्वारा प्रयोग में लाई गयी लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आधार पर हमारे अधिकतम ज्ञान और विश्वास तथा दी गयी सूचना और स्प ष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा–301 में संदर्भित कोई ठेके या व्यवस्थाएं ऐसी नहीं थी जिन्हें इस धारा के तहत अपेक्षित रजिस्टर में दर्ज करना जरूरी हो। वर्ष के दौरान ₹ 5,00,000 से अधिक के लेन–देन की औचित्यता का प्रश्न नहीं उठता।

6. कंपनी ने जनता से जमा राशियां स्वीकार नहीं की है, अतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा–58–ए, 58–एए तथा अन्य संगत प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन का प्रश्न नहीं उठता।

7. कंपनी के पास एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है, जिसमें कॉरपोरेशन की विभिन्न इकाइयों की समय–समय पर लेखापरीक्षा करने के लिए बाहरी सनदी लेखाकार फर्मों को नियुक्त किया जाता है। हमारी राय में आंतरिक लेखापरीक्षा का क्षेत्र और व्यापकता इसके व्यवसाय के काम और प्रकृति के अनुरूप होती है।

8. केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा– 209 (1) (डी) के अंतर्गत लागत रिकार्डों का रखरखाव निर्धारित किया है। कंपनी लागत रिकार्डों का अनुरक्षण कर रही है। लेकिन वर्ष 2009–10 के लिए लागत लेखा परीक्षा नहीं की गयी है।

9. (क) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अविवादित संवैधानिक देय राशियां उचित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करती है। इनमें भविष्यनिधि, आयकर, बिक्रीकर, संपत्तिकर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा अन्य संवैधानिक देय, जो कंपनी पर लागू है, शामिल है। देय तिथि से छः महीने से अधिक अवधि के लिए कोई अविवादित संवैधानिक देय राशि 31 मार्च, 2010 को बाकी नहीं थी। जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी पर राज्य बीमा अधिनियम लागू नहीं है।

(ख) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर निम्नलिखित विवादित आयकर / व्यापार कर / प्रवेश कर नहीं किए गए हैं।

निर्धारण वर्ष	धनराशि (₹ लाख में)	देयों की प्रकृति	वर्तमान स्थिति
1986–87	45.30	व्यापार कर	मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा लगाई गई ब्याज की राशि के विरूद्ध मामले को उपायुक्त (अपील), देहरादून द्वारा वापस प्रति प्रेषित कर दिया गया है तथा मूल्यांकन प्राधिकारी ने उसी राशि का पुनः निर्धारण किया है। टीएचडीसी ने ए. ओ. के आदेश के विरूद्ध जे.सी. (अपील) के समक्ष अपील की है तथा जे. सी (अपील) ने स्थगनादेश दे दिया है।
1989–90	0.36	व्यापार कर	वाणिज्यिक कर विभाग ने इस्तेमाल के अधिकार के संबंध में कर में राहत के लिए ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय, नैनीताल में एक अपील दायर की है।
1993–94	0.33	व्यापार कर	मूल्यांकन प्राधिकारी के द्वारा लगाई गई ब्याज धनराशि के लिए ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरूद्ध व्यापार / वाणिज्यिक कर विभाग ने उच्च न्यायालय, नैनीताल में एक अपील दायर की है।
1993–94	0.39	व्यापार कर	वाणिज्यिक कर विभाग ने इस्तेमाल के अधिकार के संबंध में कर में राहत के लिए ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय, नैनीताल में एक अपील दायर की है।
1994–95	0.88	व्यापार कर	मूल्यांकन प्राधिकारी के द्वारा लगाई गई ब्याज धनराशि के लिए ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरूद्ध व्यापार / वाणिज्यिक कर विभाग ने उच्च न्यायालय, नैनीताल में एक अपील दायर की है।
1994–95	1.10	व्यापार कर	वाणिज्यिक कर विभाग ने इस्तेमाल के अधिकार के संबंध में कर में राहत के लिए ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय, नैनीताल में एक अपील दायर की है।
1997–98	0.60	व्यापार कर	वाणिज्यिक कर विभाग ने इस्तेमाल के अधिकार के संबंध में कर में राहत के लिए ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय, नैनीताल में एक अपील दायर की है।
2000–01 113 महीनों के लिए ब्याज	136.35 308.15	प्रवेश कर	प्रवेश कर का मामला अपर आयुक्त (अपील) देहरादून के पास लंबित है।

10. (क) कंपनी के पास वित्तीय वर्ष के अंत तक कोई संचयी हानियां नहीं थी तथा वित्त वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा के अंतर्गत और ठीक इसके पहले वाले वर्ष में भी कोई नकद हानियां नहीं हुई।

(ख) कंपनी की चल रही परियोजनाओं के मामले में भी, जो निर्माणाधीन हैं, संचयी हानियों का खंड लागू नहीं होता।

11. कंपनी ने हमारे द्वारा अपनायी गयी लेखापरीक्षा पद्धति के आधार पर तथा अभिलेखों के अनुसार किसी वित्तीय संस्था या बैंकों की देय राशियों के लौटाने में कोई चूक नहीं की है।

12. हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने प्रतिभूति के आधार पर शेयरों, डिबेन्चरों तथा अन्य प्रतिभूतियों को बंधक रखकर कोई ऋण तथा अग्रिम स्वीकृति नहीं किए हैं।

13. कंपनी चिट फंड या निधि / म्यूचुअल बेनीफिट फंड / सोसायटी नहीं है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 4 का खंड–xiii कंपनी पर लागू नहीं होता।

14. हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार यह कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेन्चरों तथा अन्य निवेश का काम नहीं कर रही है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 4 खंड–xiv कंपनी पर लागू नहीं होता।

15. हमें दी गयी सूचना के अनुसार कंपनी ने दूसरे लोगों द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

16. हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने सावधि ऋण जिस काम के लिए थे उसी के लिए उनका इस्तेमाल किया और इन ऋणों को वर्ष के दौरान ही ले लिया गया था।

17. हमारी राय में तथा समग्ररूप में हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने अल्पावधि आधार पर इकट्ठा की गयी निधियों का इस्तेमाल दीर्घावधि निवेश के लिए नहीं किया है।

18. वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत रखे जा रहे रजिस्टर में शामिल पार्टियों और कंपनियों को इस कंपनी ने शेयरों का कोई अधिमानतः आवंटन नहीं किया है।

19. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई डिबेन्चर जारी नहीं किया इसलिए उनके लिए प्रतिभूति या प्रभार सृजन करने का प्रश्न नहीं उठता।

20. वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई प्रतिभूति या सार्वजनिक निर्गम जारी नहीं किया। अतः सार्वजनिक निर्गम के द्वारा इकट्ठा की गयी राशि के अंतिम प्रयोग के प्रकटन का प्रश्न नहीं उठता।

21. भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा पद्धति के अनुसार वर्ष के लिए कंपनी की खाता बहियों और अभिलेखों का परीक्षण करने के दौरान हमें या कंपनी को जालसाजी का कोई मामला नहीं मिला और न ही प्रबंधन द्वारा इस तरह के मामले की कोई सूचना दी गयी।

कृते **एचडीएसजी एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
रजि. नं. 00287IN

(हरबीर सिंह गुलाटी)
भागीदार, एफसीए
सदस्यता संख्या – 84072

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13 / 08 / 2010

गोपनीय

संख्या / एमएबी–II / डीएल / 3–20 / 2009–10 / 233

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा,
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड–II
नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-II
NEW DELHI

दिनांक / Dated: 27 / 8 / 2010

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड,
भागीरथीपुरम, टिहरी गढ़वाल,
उत्तरांचल–249001

विषय: कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अधीन 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए **टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड** के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

महोदय,

मैं कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अधीन 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए **टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड** के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शून्य टिप्पणियां अग्रेषित करती हूं। इन टिप्पणियों को कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाए।

भवदीया,

(नयना अ. कुमार)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–II
नई दिल्ली

संलग्न : उपरोक्तानुसार

चौथा और पांचवा तल, एनेक्सी बिल्डिंग, सीएजी आफिस, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002
टेलीफोन 011–23239450 फैक्स 011–23239433 ई–मेल : mab2@nad.vsnl.net, mabnewdelhi2@cag.gov.in

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के खातों के बारे में भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत टिप्पणियां

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार तैयार करना कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। उनके पेशेवर निकाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा और आश्वासन मानदंडो के अनुरूप स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अन्तर्गत इन वित्तीय विवरणों पर राय जाहिर करने की जिम्मेदारी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक की है। सूचना दी गयी है कि ऐसा उनके द्वारा 13 अगस्त, 2010 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में किया जा चुका है।

मैंने, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (बी) के अधीन 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के वित्तीय विवरणों की भारत के नियंत्रक एव महालेखा परीक्षक की ओर से अनुपूरक लेखा परीक्षा की है यह अनुपूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखा परीक्षक के कार्यों के कागजात (यदि कार्यों के कागजात की समीक्षा न की गयी हो) के बिना तथा सांविधिक लेखा परीक्षक की प्रारम्भिक जांच की सीमा तक और कंपनी के कार्मिकों तथा कुछ लेखा अभिलेखों के चुनिंदा परीक्षण के आधार पर की गयी। मेरी लेखा परीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बात आयी है जिस पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के तहत निम्न महत्वपूर्ण मामलों पर मैं टिप्पणी कर रही हू क्योंकि मेरी राय में लेखा परीक्षा संबंधित वित्तीय विवरणों को बेहतर ढग से समझने के लिए ऐसा करना जरूरी है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

(नयना अ. कुमार)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–II
नई दिल्ली

नई दिल्ली
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक 27.8.2010

22 वीं वार्षिक रिपोर्ट 22nd Annual Report 2009-10